लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खंड 39, 1965/1886 (शक)

Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalguna 12 to 25, 1886 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं]

[Vol. XXXIX contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

112(Ai) LS—1.

विषय-सूची

अंक 12—4 मार्च, 1965/13 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

***तारांकित**

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
253	राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना	985—88
254	कर प्रणाली में विभिन्नता लाना	988—92
255	छिपे धन का समर्पण	992—95
256	घाघर बाढ़ नियंत्रण परियोजना	995—98
257	खराब नोट	998—99
258	नेहरू सिक्के	1000—02
259	विदेशी मुद्रा की स्थिति	1002—05
260	नजफ़ गढ़ नाला	1005—06

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

261	चिकित्सा कालिजों में अध्ययन	1007—08
262	सोने के मूल्य	1008
263	गर्भनिरोधक सामग्री बनाने वाला कारखाना	1008—09
264	औद्योगिक वित्त निगम को अमरीकी ऋण	1009
265	खनिज आधारित उद्योग	1009—10
266	प्रति व्यक्ति व्यय पर अधिकतम सीमा	1010
267	विलिंगडन अस्पताल	1010
268	कलकत्ता बिजली सम्भरण निगम	1011
269	अध्ययन अवकाश पर जाने वाले पदाधिकारी	1011—12
270	स्वर्ण नियंत्रण विधेयक	1012—13
271	निजलिंगप्पा समिति का प्रतिवेदन	1013
272	करदाता	1013—14
273	स्टाक बाजार में मंदी	1014
274	सौर ष्ट्र में पाकिस्तानी सोने की तस्करी	1015
275	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतें	1015
276	डाक्टरों के लिए अध्ययन सम्बन्धी सुविधायें	1016
277	अमरीकी व्यपारियों का प्रतिनिधि मण्डल	1017

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

Thursday, March 4, 1965/Phalguna 13, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
253	Fourth Five Year Plan of States	985—88
254	Diversification of Tax Pattern	988—92
255	Surrender of Unaccounted Money	992—95
256	Ghaggar Project for flood control	995—98
257	Freak Notes	998—99
258	Nehru Coins	1000—02
259	Foreign Exchange Position	1002—05
260	Najafgarh Nallah	1005—06

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
261	Teaching in Medical Colleges	1007—08
262	Gold Prices	1008
263	Contraceptives Factory	1008—09
264	U.S. Loan to Industrial Finance Corporation	1009
265	Mineral Based Industry	1009—10
266	Ceiling on Per Capita Expenditure	1010
267	Willingdon Hospital	1010
268	Calcutta Electric Supply Corporation	1011
269	Officers on Study Leave	1011—12
270	Gold Control Bill	1012—13
271	Najalingappa Committee Report	1013
272	Tax Assesses	1013—14
273	Slump in Stock Markets	1014
274	Smuggling of Pakistan Gold into Saurashtra	1015
275	Grievances of C.G.H.S. Doctors	1015
276	Study facilities for Doctors	1016
277	Delegtion of U.S. Businessmen	1017

तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
594	परिवार नियोजन केन्द्र	1017–18
595	वाक्-चिकित्सा प्रशिक्षण	1018
596	आपात जोखिम बीमा योजना का विस्तार	1019
597	व्यावसायिक चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण	1019–20
598	व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण	1020
599	मानव दृष्टि सम्बन्धी सिद्धान्त	1020
602	अनुदानों का उपयोग	1021
603	आय-कर का दो बार न लिया जाना	1022
604	दिल्ली में नया होटल	1022–23
605	पंजाब बाढ़ समस्यायें	1023–24
606	नगर के स्थानीय निकाय	1024
607	दिल्ली राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना	1024
608	पेंशनभोगियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना	1025
609	अखिल भारतीय लाइसेंसियेट संस्था	1025–26
610	कलकत्ता में स्वर्णकार	1026
611	वेसेक्टोमी	1026–27
612	राष्ट्रीय ऋण संस्थायें	1027
613	सरकारी पेंशनभोगियों का अभ्यावेदन	1028
614	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	1028–29
615	खाद्य अपमिश्रण के मुकदमें	1029
616	औषधि अपमिश्रण के मुकदमे	1029–30
617	जोधपुर में चिकित्सा कालिज	1030
618	अनिवार्य जमा योजना	1030–31
619	बहरीन में भारतीय मुद्रा	1031
620	स्कूलों के लिए वैज्ञानिक यंत्र	1031–32
621	पंजाब के गांवों में बिजली	1032
622	खिजाब	1032–33
623	समवाय अधिनियम का उल्लंघन	1033
624	भाखड़ा राइट बैंक पावर हाउस	1034
625	औद्योगिक उत्पादों की बिक्री	1034
626	लूनकरनसर के लिए पीने का पानी	1035
627	सेलेमिन मेटल पाउडर और कोबाल्ट अक्साइड का व्यपार	1035
628	क्षय रोग का पता लगाने वाले एकक	1035--37
629	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़	1037
630	आय-कर कानूनों में सुधार	1037–38
631	नागपुर के निकट तापीय बिजली घर	1038

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
594	Family Planning Clinics	1017—18
595	Training in Speech-therapy	1018
596	Extension of Emergency Risk Insurance Scheme	1019
597	Training in Occupational Therapy	1019—20
598	Post Graduate Training of Occupational Therapy	1020
599	Theories on Human Vision	1020
602	Utilisation of Grants	1021
603	Avoidance of Double Taxation of Income	1022
604	New Hotel in Delhi	1022—23
605	Punjab Flood Problems	1023—24
606	Urban Local Bodies	1024
607	Rural Electrification in Delhi Territory	1024
608	C.H.G.S. Scheme for Pensioners	1025
609	All India Licentiate Association	1025—26
610	Goldsmiths in Calcutta	1026
611	Vasectomy	1026—27
612	National Credit Institutions	1027
613	Representation from Government Pensioners	1028
614	D.A. to L.I.C. Staff	1028—29
615	Food Adulteration Cases	1029
616	Drugs Adulteration Cases	1029—30
617	Medical College at Jodhpur	1030
618	Compulsory Deposit Scheme	1030—31
619	Indian Currency in Bahrain	1031
620	Scientific Apparatus for Schools	1031—32
621	Rural Electrification of Punjab	1032
622	Hair Dyes	1032—33
623	Violation of Company Law	1033
624	Bhakra Right Bank Power House	1034
625	Sale of Products of Industries	1034
626	Drinking Water for Lunkaransar	1035
627	Trade in Salemin Metal Powder and Cobalt Oxide	1035
628	T.B. Case Finding Units	1035—37
629	Floods in Andhra Pradesh	1037
630	Reforms in Income Tax Laws	1037—38
631	Thermal Power Station near Nagpur	1038

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
632.	प्रधान मंत्री का निवासस्थान	1038--39
634.	झुग्गी निवासियों पर सम्पत्ति कर	1039
635.	पटेल आयोग की सिफारिशें	1039—40
636.	सरकारी विभागों में छपाई का काम	1040
637.	उड़ीसा में आय-कर की बकाया राशि	1041
638.	उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1041
639.	उड़ीसा में ग्राम आवास योजनायें	1041--42
640.	बरौनी तापीय बिजली घर	1042
641.	राज्यों को दिये गये ऋण	1042
642.	पंजाब में परिवार नियोजन	1043
643.	जापानी आर्थिक शिष्टमंडल	1043
644.	कलकत्ता में तस्कर व्यापार	1043—44
545.	केरल में हैजा	1044
646.	विद्युत् जनन	1044
647.	एक्स-रे	1044—45
648.	सिन्धु आयोग	1045
649.	शिशु-मरण	1045—46
550.	संसद् सदस्य होस्टल, नई दिल्ली	1046—47

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में 1047

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) 1047

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 1047

ई० एम० ई० वर्कशाप्स के लगभग 3000 श्रमिकों की प्रस्तावित छटनी 1047—48

श्री स० मो० बनर्जी 1048

श्री यशवन्तराव चह्वाण 1048

सभा पटल पर रखे गये पत्र 1049

विनियोग विधेयक, 1965--पारित 1049—50

रेलवे आयव्ययक--सामान्य चर्चा 1050—73

डा० चन्द्रभान सिंह 1050—51

श्री उ० मू० त्रिवेदी 1051—52

श्री तुलशीदास जाधव 1052—54

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह 1054—55

श्री मुथिया 1055

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी 1055—57

श्री शंकरय्या 1057—59

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
632	Prime Minister's Residence	1038-39
634	Property Tax on Jhuggi Dwellers	1039
635	Recommendations of Patel Commission	1039-40
636	Printing work in Government Departments . . .	1040
637	Income-Tax Arrears in Orissa	1041
638	Primary Health Centres in Orissa	1041
639	Rural Housing Schemes in Orissa	1041-42
640	Barauni Thermal Power Station	1042
641	Loans Granted to States	1042
642	Family Planning in Punjab	1043
643	Japanese Economic Mission	1043
644	Smuggling at Calcutta	1043-44
645	Cholera in Kerala	1044
646	Power Generation	1044
647	X-Ray	1044-45
648	Indus Commission	1045
649	Infantile Mortality	1045-46
650	M. Ps. Hostel, New Delhi	1046-47

Re: Point of Privilege 1047

Re: Calling Attention Notice (Query) 1047

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Proposed retrenchment of about 3000 workers in EME Workshops 1047-48

Shri S. M. Banerjee 1048

Shri Y. B. Chavan 1048

Papers laid on the Table 1049

Appropriation Bill, 1965—Passed 1049-50

Railwaay Budget—General Discussion . . . . 1050—73

Dr. Chandrabhan Singh 1050-51

Shri U. M. Trivedi 1051-52

Shri Tulsidas Jadhav . . . . 1052—54

Shri Ramshekhar Prasad Singh 1054-55

Shri Muthiah 1055

Shri Tridib Kumar Chaudhuri . . . . . . 1055—57

Shri Shankaraiya . . . . 1057—59

विषय	पृष्ठ
श्री ना० नि० पटेल	1059--61
श्री प्रिय गुप्त . . .	1061--64
श्री म० रं० कृष्ण	1064-65
श्री हिम्मतसिंहका . . .	1065-66
श्री ब० कु० दास	1066-67
श्री सोलंकी	1067
श्री जयपाल सिंह	1067-68
श्री रामचन्द्र मलिक	1068-69
श्री रामानन्द शास्त्री	1069-70
श्री हेम राज	1070--72
श्री स० मो० बनर्जी	1072-73

Railway Budget—General Discussion—*contd.*

Subject	PAGES
Shri N. N. Patel	1059—61
Shri Priya Gupta	1061—64
Shri M. R. Krishna	1064-65
Shri Himatsingka	1065-66
Shri B. K. Das	1066-67
Shri Solanki	1067
Shri Jaipal Singh	1067-68
Shri Rama Chandra Mallick	1068-69
Shri Ramanand Shastri	1069-70
Shri Hem Raj	1070—72
Shri S. M. Banerjee	1072-73

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 4 मार्च, 1965/13 फाल्गुन, 1886 (शक)

Thursday, March 4, 1965/Phalguna 13, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथग्रहण

अध्यक्ष महोदय : सचिव उन सदस्य को पुकारें जो संविधान के अन्तर्गत शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने आये हैं ।

सचिव : श्री नरदेव ।

अध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मंत्री सभा में उनका परिचय करायें ।

संचार और संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : श्रीमन्, मुझे आपसे तथा आपके द्वारा सभा से श्री नरदेव का परिचय कराते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है । ये श्री ज्योति स्वरूप का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उत्तर प्रदेश के हाथरस निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के सदस्य चुने गये हैं ।

श्री नरदेव (हाथरस) ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Fourth Five Year Plan of States

+

*253. **Shri S. C. Samanta:**
Shri M. L. Dwivedi:
Shri R. S. Tiwary:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Yashpal Singh:
Shri P. C. Borooah:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission have since examined the

preliminary memoranda on the Fourth Five Year Plan received from various States/Union Territories; and

(b) if not, how long it will take to complete their examination and finalize the allocation of resources and funds to various States/ Union Territories?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) The Preliminary Memorandum on the Fourth Five Year Plan has not been received from all the States/Union Territories. Those which have been received are under examination in the Planning Commission and Ministries.

(b) A phased programme has been worked out for the formulation of States/Union Territories Plans and the final report on the Fourth Plan is expected to be submitted to the National Development Council in February, 1966.

श्री सं० चं० सामान्त : क्या राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : विश्वविद्यालयों से परामर्श नहीं किया जाता है, किन्तु ऐसा हो सकता है कि उन में से कुछ लोग कार्यकारी वर्गों में हों। मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्र ने स्वयं पहली और दूसरी योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी राय जानने के लिये विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को बुलाया था ?

श्री ब० रा० भगत : योजना के सम्बन्ध में उन की सलाह लेने के लिये उन से सम्पर्क रखा जाता है चाहे वे विश्वविद्यालय के अध्यापक हों अथवा वैज्ञानिक या कोई दूसरे लोग। जहां तक राज्यों की योजनाओं का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यकारी वर्ग हैं और उन में मुख्यत: विभागों के अधिकारी हैं। वे योजनायें प्रस्तुत करते हैं और राज्य इन को इकट्ठा कर के केन्द्र को भेज देते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि अध्यापकों के कल्याण अथवा उन के भत्तों में वृद्धि करने के लिये किसी सरकार ने किसी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था नहीं की है ; और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अध्यापकों के कल्याण अथवा तीन प्रकार के लाभ योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में गैर योजना व्यय के लिये योजना में अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की है ?

श्री ब० रा० भगत : राज्यों की सभी योजनायें अभी विचाराधीन हैं और इस मामले का तभी पता चल सकता है जब उन का पुनरावलोकन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह समस्त भारत के बारे में एक अलग प्रश्न है ....(**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री स० मो० बनर्जी : हाल में ही यह प्रश्न उठाया गया था....

अध्यक्ष महोदय : मेरा सम्बन्ध वर्तमान प्रश्न से है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न इस से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं ।

Shri Yashpal Singh: What is the use of this Five Year Plan which we have formulated for defence? The China may invade us tomorrow and we are formulating plan for five years. What is meant by it?

Shri B. R. Bhagat: There is a separate plan for defence, it is not included in it.

श्री राजेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों ने अपनी चौथी योजना की रिपोर्ट घाटे की अर्थव्यवस्था के साथ प्रस्तुत की है और यदि हां, तो क्या उन्होंने आय व्ययक को प्रस्तुत करने से पहले केन्द्र सरकार से परामर्श किया था ?

श्री ब० रा० भगत : लगभग 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी योजनायें भेज दी हैं। परन्तु यह सच है कि उनमें बताये गये खर्चे बहुत अधिक हैं और कुछ मामलों में तो योजना आयोग द्वारा बताये गये खर्चों से भी ऊंचे हैं, या तो उन्होंने संसाधनों के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण अपनाया है अथवा उन्होंने इस पर विचार ही नहीं किया है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित किये गये लक्ष्यों विशेषतया बिजली के बारे में कोई अग्रिम धन नियत किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : सामान्य रूप से योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि चौथी योजना के व्यय तीसरी योजना के पूरे व्यय के दुगने से अधिक नहीं होने चाहियें।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मेरा प्रश्न भिन्न है । यह विशेष रूप से विद्युत् के बारे में नियत किये गये अग्रिम धन के सम्बन्ध में है ।

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना के लिए अग्रिम धन कैसे नियत किया जा सकता है जब अभी इस योजना का फैसला ही नहीं किया गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या राज्य सरकारों को योजना की कार्य-नीति और उद्देश्य बताये गये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं, और यदि राष्ट्रीय विकास परिषद् को इस पर विचार केवल फरवरी, 1966 में ही करना है तो हम चौथी योजना के पहले वर्ष को कैसे आगे बढ़ा पायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक चौथी योजना के मुख्य उद्देश्यों तथा कार्य सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, इनको प्राथमिक ज्ञापन में, जिस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने विचार कर लिया है, और जो दोनों सभाओं के पटलों पर रख दिया गया है, स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने चौथी योजना के लिए मोटे तौर से 21,500 करोड़ रुपये से 22,500 करोड़ की राशि नियत की है । राज्य सरकारों को इसी आधार पर अपनी योजनायें बनाने के लिये कहा गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न विशेष तौर से योजना की कार्य-नीति के सम्बन्ध में है, क्योंकि हमें बताया गया है कि वे कार्य-नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो वह कार्य-नीति क्या है जिसका सुझाव दिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे प्राथमिक ज्ञापन में दिये गये उद्देश्यों को दुहराना पड़ता है ; मोटे तौर से, 6.5 प्रतिशत वृद्धि की गई है । यह सच है कि धन नियत करने में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। सामाजिक सेवाओं विशेषतया स्वास्थ्य और शिक्षा और सभी मूल उद्योगों जैसे कि धातु और मशीनें जिन को विशेष प्राथमिकता दी गई है, के लिये अधिक धन नियत किया गया है ।

Shri Gulshan: Have any special allocations been made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Fourth Five Year Plan?

Shri B. R. Bhagat: It has also been discussed in the preliminary memorandum which has been laid on the Table of the House and the amount given therein has been increased.

श्री रंगा : क्या लगभग सभी राज्य चौथी योजना से मिलने वाले धन की प्रत्याशा में घाटे के आयव्ययक प्रस्तुत करने में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं ? उनको अपने कामों की प्रगति में संतुलन बनाये रखने के लिए कहां से राशि दी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : घाटे के आय-व्ययक का चौथी योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है ? परन्तु इस का सम्बन्ध तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष से है ।

श्री रंगा : कामों की प्रगति में संतुलन बनाये रखने के लिए सरकार का किस प्रकार सहायता देने का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग और वित्त मंत्री दोनों ने इन को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनको अपने आयव्ययक में संतुलन बनाना चाहिये ।

Shri Bibhuti Mishra: The per capita income is different in every State. May I know whether Government would try to remove disparities of wealth in the Fourth Five Year Plan since it is inscribed here "धर्मचक्र प्रवर्तनाय" and as has been solemnly declared in our Constitution?

Shri B. R. Bhagat: When State plans are formulated, this point will also be referred to them and would be asked to see that progress in the development of under-developed areas/States is accelerated.

कर प्रणाली में विभिन्नता लाना

\+

*254. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की संसाधन समिति ने 3 जनवरी, 1965 को हुई अपनी पहली बैठक में कर अपवंचन को रोकने तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए कुछ निर्णय किये थे; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). 3 जनवरी, 1965 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की संसाधन समिति ने केवल चौथी योजना के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रश्नों के व्यापक दृष्टिकोणों पर विचार किया। विचार-विनिमय के दौरान अपवंचन को रोकने तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में कतिपय सामान्य सुझाव तैयार किये गये थे। यह निश्चय किया गया कि इस सम्बन्ध में विशिष्ट सुझाव तैयार किये जायें और उन्हें समिति की आगामी बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1951 से देश के आर्थिक विकास ढांचे में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है, क्या सरकार का विचार करों के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए एक नये कराधान जांच आयोग स्थापित करने का है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार अपने अनुमान के अनुसार देश में 60 प्रतिशत करों की चोरी हो रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि यदि करापवंचन कम से कम हो, तो इस से चौथी योजना के संसाधनों में कितनी वृद्धि होगी ?

श्री ब० रा० भगत : इसका अनुमान बताना कठिन है।

Shri Yashpal Singh: Is there any proposal under the consideration of the Government to send the tax-evaders to jail also as it is done in the case of a farmer when there are tax arrears against him?

Mr. Speaker: It would have to be looked into.

श्री स० मो० बनर्जी : करापवंचन पर चर्चा के अतिरिक्त, क्या उस बैठक में संसाधनों में वृद्धि करने के लिए बैंकों, सामान्य बीमा तथा अन्य मूल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर चर्चा की गई थी और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ब० रा० भगत : चर्चा का, जो कई घंटे होती रही थी, संक्षिप्त विवरण देना कठिन है। परन्तु जो कुछ भी संसाधनों की वृद्धि के लिए करना उचित है उनको पुनरावलोकन किया जा रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के लोगों पर करों का बोझ पहले ही बहुत ज्यादा है और तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में कम विनियोजन होने तथा वहां की प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण वे कर-प्रणाली में विभिन्नता नहीं ला सकते, तो केन्द्रीय सरकार उन के लिए चौथी योजना में, अधिक से अधिक संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में क्या सुझाव अथवा सलाह देने जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह हमारी अपनी सलाह नहीं है, परन्तु वे भी उसमें भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री समिति के सदस्य हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad: Just now the hon. Minister said that some of those measures will be considered in the Fourth Plan. May I know in how many measures so far adopted by them for checking tax-evasion, success has been achieved and the amount recovered as a result thereof and whether any assessment has been made in this regard?

Shri B. R. Bhagat: This point was not discussed in this meeting in this form. But, as the hon. Members are aware the hon. Finance Minister has recently introduced several measures and only yesterday the House has passed a bill in this regard. I think after some time we shall be able to make any assessment of the success achieved by these measures.

Shri Bhagwat Jha Azad: I am not talking of yesterday. The main question is that what success is achieved by these measures so far taken and if success is achieved the amount recovered as a result thereof.

Mr. Speaker: It is difficult to reply to all these points. Shortly there is going to be a debate on this and then the hon. Member can refer to these points.

Shri B. R. Bhagat: The hon. Finance Minister has stated in the Budget Report that there is increase in revenue, and from that the success of these measures can be known.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : करापवंचन की राशि का कर की कुल प्रत्याशित राशि से क्या अनुपात है और कर की चोरी को रोकने के लिए उस बैठक में क्या विशिष्ट सुझाव दिये गये थे ?

श्री ब० रा० भगत : मैं इस अनुपात को बताने की स्थिति में नहीं हूं, यह बताना कठिन है। जहां तक सुझावों का सम्बन्ध है, कोई निश्चित सुझाव नहीं है। समिति के सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव दिये गये थे और उन पर चर्चा की गई थी। अभी कई बैठकें होंगी।

Shri Bibhuti Mishra: Are the Government aware of the tax evaders in this country? If so, whether Government propose to launch non-co-operation movement against them as Mahatma Gandhi did?

Shri B. R. Bhagat: The hon. Member may start non-co-operation but the Government wants to recover the tax which they have evaded.

Shri Bibhuti Mishra: On a point of order, Sir. My question is that Minister and other big persons associate and eat and drink with the tax evaders and have relations with them and thus they are further encouraged to evade taxes. What action Government is taking in this regard?

Mr. Speaker: I cannot, of course, object to hon. Member's putting this question here. His question is correct. But this I will certainly say that it would have been better if the hon. Member had caught the Minister in his organisation. The question can be raised here but a question of principle cannot be settled here.

Shri Bhagwat Jha Azad: We catch him in a better way under your Chairmanship.

Shri Sarjoo Pandey: Was the question of bringing about uniformity in the different methods adopted by States and the centre discussed in this meeting?

Shri B. R. Bhagat: This point was not specifically discussed, but the question of bringing about uniformity in the various methods adopted for the collection of taxes in villages of the country, was of course discussed.

श्री करूर सिंह : क्या इस बारे में कोई निश्चित आंकड़े हैं कि कितनी राशि का करापवंचन हुआ है अथवा यह केवल अन्दाजा है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे पास कोई अनुमान नहीं है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : हमारे स्वतन्त्रता संग्राम की एतिहासिक पृष्ठ-भूमि के प्रति राष्ट्रीय विकास परिषद् की क्या प्रतिक्रिया थी, जो कि मुख्यत: इस विचार पर आधारित था कि गांवों में भूराजस्व को समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि गांवों के लोग हमारे देश के सब से गरीब लोग हैं और ऐसा एक सुझाव भी है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां कर की बिलकुल चोरी नहीं हुई है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं ऐसी हालत में मैं नहीं जानता कि हमारी योजना का क्या बनेगा यदि हम यह निर्णय करें कि वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्र से कोई कर वसूली नहीं किया जायेगा ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : प्रश्न यह था कि लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण जोतें अलाभ-प्रद हैं और समस्त स्वतन्त्रता आन्दोलन का ध्येय यही था कि भूराजस्व समाप्त किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं वह प्रश्न नहीं बन सकता ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद् की प्रतिक्रिया के बारे में पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य को किसी प्रश्न के पूछने से पहले उस का आधार बनाना चाहिये ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : श्रीमन्, क्या किसी सदस्य को परिषद् की प्रतिक्रिया के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ? मैं कोई जानकारी नहीं दे रहा हूं। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि उन की क्या प्रतिक्रिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने पहले बता दिया है ।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था करने के बारे में संसाधन समिति ने कौन से विशिष्ट सुझावों तथा प्रस्तावों की जांच की थी और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री ब० रा० भगत : यह राष्ट्रीय विकास परिषद की संसाधन संबंधी समिति की पहली बैठक थी। सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं जैसे भूराजस्व सिंचन कर आदि में परिवर्तन में वृद्धि, कहां तक की जा सकती है, पंचायतों और जिला परिषदों के लिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाये आदि। ये सभी बात कहीं गई थी। परन्तु यह केवल सुझाव मात्र ही है। उनकी संभावनाओं, व्यावहारिकता आदि तथा लोगों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बातों पर विचार आगामी बैठक में किया जायेगा।

छिपे धन का समर्पण

+

*255. श्री यशपाल सिंह :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री चुनी लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपाये हुए धन का पता लगाने के लिये छापे मारे जाने के बाद कुछ व्यक्तियों ने इस शर्त पर अपना धन समर्पित करने की सरकार से पेशकश की है कि उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू): (क) और (ख). जबकि कराधान के भागी व्यक्तियों द्वारा आय की स्वेच्छापूर्ण घोषणा से प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी विभाग अनभिज्ञ नहीं है, हाल ही में कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं। यह कहना संभव नहीं है कि मारे गये छापों से इनका सीधा सम्बन्ध है। आयकर अधिनियम को संशोधित करने के लिए लोक सभा के समक्ष विधेयक का

अभिप्राय आय की स्वेच्छापूर्ण घोषणाओं की इस प्रक्रिया में सहायता करना है। ऐसे प्रस्ताव कानून के अनुसार निपटाए जाते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह तो पहले ही पारित किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर इसके पारित किये जाने से पहले ही तैयार कर लिया गया था।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कम से कम उनको उत्तर में परिवर्तन कर लेना चाहिए था।

Shri Yashpal Singh: Some one commits a murder and then comes and says. "I have murdered". Will he be pardoned?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मुझे खेद है कि हमने उत्तर को ठीक नहीं किया। उत्तर यह होना चाहिये था "संसद के समक्ष विधेयक" क्योंकि विधेयक अभी दोनों सभाओं द्वारा पारित नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि आप मेरी क्षमायाचना को स्वीकार करेंगे।

यहां पर किसी के कत्ल का सवाल नहीं है। यदि लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे तो स्वभावत: कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh: Are those persons any less than murdereds who have accumulated wealth through unfair means and black-marketing?

Mr. Speaker: This is no argument.

Shri Yashpal Singh: I want to know what decision has been taken in this regard, how many persons have been arrested and what amount of money has been offered?

Mr. Speaker: He has given all these points in his budget speech.

Shri Bhagwat Jha Azad: Are Government aware and is the hon. Minister in a position to state the number of persons who have so far surrendered their wealth since the launching of raids and do the Government not encourage these tax evaders by this policy? Have the Government considered this point and if so, what is their opinion?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि आपने बताया यह मैंने बजट के भाषण में बताया है। सभी ऊंच नीच पर विचार किया जाता है और फिर निर्णय किया जाता है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: May I know whether any notice was given before launching these raids and due to this those persons who were served notice removed their wealth from banks and lockers before the raids were made?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्वभावत: जब हम छापा मारते हैं तो हम कोई पूर्व सूचना नहीं देते ।

श्री स० चं० सामन्त : ऐसे व्यक्तियों ने सरकार के पास कितना पैसा जमा करा दिया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इसकी घोषणा गत मास 27 तारीख को ही की गई थी। परिणाम जानने के लिये हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : इन स्वेच्छिक घोषणाओं के बारे में सरकार की क्या कार्यप्रणाली है ? क्या इसको उनकी सद्भावना पर छोड़ दिया जाता है, अथवा आयकर अधिकारी उनको ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, अथवा सदाचार समिति जैसी कोई नैतिक ऐजेंसी उनको मनाती है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि आयकर विभाग आ जाता है तो स्वेच्छा की कोई बात नहीं रह जाती । किसी भी व्यक्ति की सद्भावना का प्रश्न केवल तब ही उठता है जब वह मेरे बजट के भाषण में बताये गये तरीके के अनुसार अपने छिपे हुए धन की घोषणा कर दे और कर को रक्षित बैंक में जमा करा दें । तब ही स्वैच्छिक घोषणा को स्वीकार किया जायेगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : उन व्यक्तियों को, जो अपने छिपे धन का समर्पण स्वेच्छा से करते हैं, रियायतें देने का सूत्र तैयार करते समय क्या सरकार ने छापा मारने से पहले सम्पत्ति की घोषणा करने वाले व्यक्तियों और छापा मारने के बाद सम्पत्ति की घोषणा करने वाले व्यक्तियों में कोई अन्तर रखा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अब स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति पेशकश कर सकता है । मेरा विचार है कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिये विभाग आज ही एक प्रैस विज्ञप्ति जारी कर रहा है । यदि इस कर का निर्धारण हो रहा होता है तो उनको इसके संबंध में आयकर आयुक्त से बातचीत करनी पड़ती है ।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने बताया कि अनेक व्यक्तियों ने अपने लेखे बताने की इच्छा प्रकट की है । क्योंकि जो लोग ईमानदारी से अपना लेखा बताने की इच्छा रखते हैं उनकी रक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है तो क्या यह सच नहीं है कि जब गल्ला व्यापारियों ने अपना सारा स्टाक बता दिया तो उन्हें बहुत तंग किया गया ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : किसी अन्य क्षेत्र में तंग किए जाने का मुझे पता नहीं है । यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आय बता देता है और विभाग के साथ सहयोग करता है तो मुझे विश्वास है कि विभाग उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा ।

श्री रंगा : यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है कि अधिकारियों के छापों में जो राशि मिले वह पूरी पूरी सरकार के खज़ाने में पहुंच जाये और उसमें कोई अन्तर न होने पाये ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है ।

श्री रंगा : इस उत्तर से काम नहीं चलेगा । हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिये उन्होंने कोई कदम उठाये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनका यह अर्थ है कि तीसरी पार्टी भी उपस्थित हो .

श्री रंगा : न्यायाधीश होने के नाते आप जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के घर पर छापा मारा जाता है तो सभी सामान का हिसाब किताब रखा जाता है । उन दिनों में भी जबकि हमारे घरों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा छापे मारे जाते थे तो जो भी कागज पत्र वे लेते थे उसकी हमें क़ाकायदा रसीद दी जाती थी । इसी प्रकार इस मामले में भी क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि छापा मारने वाले कोई शरारत न करें क्योंकि यह बहुत संम्भव है कि शरारत की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : कानून के अन्तर्गत एक तालिका सदैव ही तैयार की जाती है। जो शरारत करना चाहते हैं उनके लिये शरारत की सदैव ही गुंजाइश रहती है परन्तु हमें किसी न किसी पर विश्वास करना ही पड़ता है ।

श्री रंगा : हमने मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों पर विश्वास करने का नतीजा भुगत लिया है। इसलिये नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार को निश्चित कदम उठाने ही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह यह चाहते हैं कि इसकी देखभाल के लिये कोई और ऐजेंसी हो ?

श्री रंगा : जब लोगों को मुख्य मंत्रियों पर ही विश्वास नहीं है फिर कुछ एक अधिकारियों पर विश्वास रखने के लिये कहना.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रख लें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की इस पेशकश की लोगों में बड़ा प्रचार किया गया है कि वे आगे आयें और स्वेच्छा से अपने लेखे बतायें, क्या मंत्री महोदय ने इस संभावना पर विचार किया है कि बेईमान लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने कुल छिपे हुए धन का केवल थोड़ा सा भाग ही बता सकते हैं ? इस प्रकार क्या सरकार अथवा लोगबाग यह समझेंगे कि वे बहुत ईमानदार हैं क्योंकि उन्होंने धन का कुछ भाग बता दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या तरीका अपनाया है कि लोग अपनी आय का केवल थोड़ा सा भाग बता कर, कर की चोरी के अपराध से न बच जायें ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : कोई भी दी गई छट केवल उस सीमा तक होगी जितनी कि राशि प्रकट की गई है। अग्रेतर जांच के संबंध में विभाग पर कोई रुकावट नहीं होगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Recently some places were raided and urrency worth five six thousand rupees was seized. Those persons have established that that is the earned money by showing these sums in their account books. Do Government consider to return those sums?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार की तरफ बकाया राशि से यदि कोई अधिक धन इकट्ठा किया जायेगा तो वह निश्चय ही वापस कर दिया जायेगा। माननीय सदस्यों द्वारा कल जिस विधेयक का समर्थन किया गया था, उस के अनुसार वे 90 दिन से अधिक इसे अपने पास नहीं रख सकते। इस समय के भीतर ही उन्हें इसे लौटाना होगा ।

घग्गर बाढ़ नियंत्रण परियोजना

\+

*256. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री शिवचरण माथुर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 26 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घग्गर बाढ़ नियंत्रण योजना पर कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) आगामी वर्षा ऋतु से पहले कितनी प्रगति होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) और (ख). सरकार घग्गर बाढ़ व्यपवर्तन योजना की सक्रिय रूप से जांच कर रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इंजीनियरों ने जिस योजना को अन्तिम रूप दिया है और योजना आयोग ने जिस का अनुमोदन किया है उस का स्वरूप क्या है और उस पर कितना पैसा खर्च होगा ? क्या यह सच है कि तकनीकी कारणों की वजह से वित्त मंत्रालय को यह योजना मंजूर नहीं है यदि ऐसा है, तो वित्त मंत्रालय की आपत्तियां क्या हैं और सरकार इसको किस प्रकार ठीक करना चाहती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : यह मानना पड़ेगा कि घग्गर की समस्या का समाधान करते समय विभिन्न पहलुओं की जांच करनी पड़ेगी और यह जांच की गई है कि राष्ट्र के हित में पानी का सब से उत्तम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसलिये ढ़ेंकली आदि तरीकों की अथवा नदियों और नहरों की तथा राजस्थान नहर में पानी छोड़ने संबंधी सिंचाई योजनायें तैयार की गई हैं। और इस से बचे पानी को अन्य योजनाओं के लिये काम में लाया जायेगा ।

वित्त मंत्रालय की सहायता से इन सभी पहलुओं पर पूरे ध्यान से विचार किया गया था और यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी है कि अगले कुछ ही दिनों में अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सभी इंजीनियर किन्हीं बातों पर सहमत हैं। यदि हां, तो वे कौन कौन सी बातें हैं और उन को क्रियान्वित करने पर कितना व्यय होगा ?

डा० कु० ल० राव : मैं केवल इतना ही दोहरा सकता हूं कि संबंधित इंजीनियरों के साथ काफी चर्चा की गई थी। कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं क्योंकि योजना विशेष रूप से ऐसी है कि इस का योजना का स्वरूप नहीं है और इसे तृतीय योजना में शामिल नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी ध्यानपूर्वक जांच की है और परियोजना का कार्य शीघ्र ही सक्रिय रूप से आरम्भ किया जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं, वित्त मंत्री द्वारा योजना की वित्तीय कठिनाइयों की जांच करने पर मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मेरा प्रश्न तैयार की गई योजना के स्वरूप के संबंध में था और यह कि क्या सभी इंजीनियर इस पर सहमत हो गये हैं अथवा नहीं। हम जानना चाहते हैं कि वित्त मंत्री ने योजना के तकनीकी पहलू पर अथवा कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण आपत्ति उठाई है। यदि ऐसा है तो उन को दुरुस्त करने के लिये क्या किया जा रहा है ? यह एक स्पष्ट प्रश्न है ।

डा० कु० ल० राव : मैं समझता हूं कि मैं ने प्रश्न का उत्तर बहुत साफ साफ दे दिया है। जहां तक तकनीकी पहलू का संबंध है, इस पर आपत्ति नहीं उठाई गई है। जो कुछ किया गया है वह इस जल को . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय मंत्री की सहायता कर सकता हूं ? क्या सभी इंजीनियर सहमत हैं ?

डा० कु० ल० राव : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : तकनीकी अथवा वित्तीय पहलू पर मंत्रालयों में क्या कोई मतभेद है ?

डा० कु० ल० राव : कोई मतभेद नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वित्तीय कठिनाइयां क्या हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री के अनुसार कोई मतभेद नहीं है परन्तु इस पर पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष से चर्चा चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की और सहायता नहीं कर सकता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : सरकार कब से इन परियोजनाओं की जांच कर रही है और इस परियोजना के संबंध में सरकार किस समय सारिणी पर काम करना चाहती है ?

डा० कु० ल० राव : मैं ने जो 3 योजनायें बताई हैं उनमें से घग्गर प्रत्यावर्तन योजना पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष से विचाराधीन हैं । परन्तु अन्य योजनाओं पर हाल ही में विचार करना आरम्भ किया गया है जैसे कि राजस्थान नहर में पानी देना और उठाऊ तथा बहाव सिंचाई का उपयोग करना, इन सब की जांच की जा रही है । आशा है कि इन सब परियोजनाओं को अगले 3 वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान सरकार घग्गर नदी के पानी को काबू में करने के लिये बहाव सिंचाई योजना बनाई है । 15,000 क्युसेक्स पानी में से केवल 600 क्युसेक्स पानी का हिसाब किताब रखा गया है । योजना मोटे रूप से घग्गर के पानी को मोड़ने के लिये है और इस पर 4 करोड़ रु० व्यय होगा । सरकार इसके लिये क्या सोच रही है और क्या अधिकांश धन भारत सरकार देगी ?

अध्यक्ष महोदय : पहले भाषण, फिर प्रश्न, और फिर अनुपूरक प्रश्न ।

श्री शिवचरण माथुर : मेरा प्रश्न यह है कि पानी के केवल छठे भाग को ही उपयोग में लाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इन परिस्थितियों में बिल्कुल सही उत्तर नहीं दिया जाता तो मेरे लिये मंत्री महोदय को बाध्य करना बड़ा कठिन हो जाता है । बहुत से प्रश्न मिले जुले होते हैं । मैं ने कई बार बताया है कि जब अन्त आ जाता है तो आरम्भ खो जाता है। ऐसा प्राय: होता है और मैं भी उलझन में पड़ जाता हूं । कहीं न कहीं कोई कठिनाई होती है । मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता । और जब मंत्री उत्तर देते हैं तो आप की यह शिकायत होती है कि उत्तर नहीं आया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं । सभी योजनाओं के लिये अधिकांश धन केन्द्रीय सरकार देती है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है और इस को मंजूर किया जा रहा है । मझे खुशी है कि वित्त मंत्री इस बात से सहमत हो गये हैं कि जहां राज्य, योजनाओं के लिये धन देने की स्थिति में नहीं होंगे वहां केन्द्र सहायता देगा ।

श्री लहरी सिंह : क्या घग्गर परियोजना को तैयार करने में पंजाब सरकार से विचार विमर्श किया गया है ।

डा० कु० ल० राव : बिल्कुल पंजाब के इंजीनियरों ने इस में काम किया है ।

श्री के० दे० मालवीय : ऐसा प्रतीत होता है कि मतभेद दूर हो गये हैं । ऐसा उत्तर में कहा गया है । अन्त भला सोभला । तो क्या मैं यह समझूं कि भविष्य में तकनीकी मंत्रालयों से जब कभी कोई तकनीकी प्रश्न पूछे जायेंगे तो जहां तक सरकार का संबंध है तकनीकी मंत्रालयों के निर्णय को ही अन्तिम समझा जायेगा न कि वित्त मंत्रालय के निर्णय को ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बतायें कि पंजाब और राजस्थान को सीधे रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कितनी कितनी हानि होगी और मानसून आने से पहले वह कितनी सहायता दे सकेंगे ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं । घग्गर नदी में बाढ़ आ जाने के कारण लगभग 59 लाख रु० का नुकसान हुआ था और कुछ समय के लिये रेलवे के बन्द रहने से जो हानि हुई है वह उस के अतिरिक्त है । सूरतगढ़ फार्म में हानि हुई है वह इसमें शामिल है । बाढ़ से पहले यह बताना कठिन है कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि परियोजना को पूरा करने में लगभग 3 वर्ष लगेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस का मतलब तो यह हुआ कि मानसून से पहले कुछ भी नहीं किया जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: What is the reaction of Punjab and Rajasthan Government in regard to this project? When the work on this project will start and what is the amount involved?

डा० कु० ल० राव : दोनों राज्य सरकारों में इस विषय पर बातचीत हो रही है । आशा है कि परियोजना का काम अगले कुछ दिनों तक आरम्भ हो जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister has not mentioned the amount involved.

Mr. Speaker: He might not be knowing this just now.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को इस की जानकारी है कि घग्गर प्राचीन काल से पंजाब और राजस्थान के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है और यदि हां, तो क्या यह परियोजना पंजाबी क्षेत्रों के हितों की उचित रूप से रक्षा करती है ?

डा० क० ल० राव : मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि इन परियोजनाओं से पंजाब और राजस्थान दोनों को सहायता मिलेगी ।

खराब नोट

*257. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कुछ खराब नोटों के मामले लाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस और भारतीय रिजर्व बैंक से पूछताछ की गयी है । उन का कहना है कि छापे और जारी किये जाने वाले नोटों की संख्या में भारी वृद्धि हो जाने के कारण न तो भारतीय रिजर्व बैंक और न इंडिया सिक्योरिटी प्रेस ही नोटों की पूरी पूरी जांच कर सकता है । इसलिए कभी कभी इस तरह के नोटों का चलन में आ जाना असंभव नहीं है, लेकिन ऐसे नोटों की संख्या लाखों में एक या दो ही है । इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के प्रबन्धक (मास्टर), जांच-पड़ताल और छानबीन की वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त सतर्कता के कुछ और उपाय किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, ताकि इस तरह के नोट प्रेस से बाहर न जाने पायें ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इन खराब नोटों की संख्या को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है जबकि 'इंडिया सिक्यूरिटी प्रैस' के 'मास्टर' तथा 'रिज़र्व बैंक' दोनों ही निस्सहाय हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैं ने कहा है सावधान रहने के अतिरिक्त उपाय किये जाते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब को विचार करना चाहिये कि जैसे प्रकृति के कार्यों में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं ऐसे ही मनुष्यों द्वारा किए हुए कार्यों में भी त्रुटियां रह जाती हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमान्, आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे खराब नोटों की संख्या बहुत कम है अथवा इन की संख्या बढ़ कर बहुत अधिक हो गई है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जा चुका है । दूसरे भाग का उत्तर दे दिया जाए ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न का दूसरा भाग समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि अनुपातत: ऐसे नोटों की संख्या बहुत कम है । अब वह बताएं कि ऐसी राशि कुल कितनी है ।

श्री ब० रा० भगत : कुल मिला कर तीन एक रुपये वाले तथा एक पांच रुपये वाला नोट है ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether it is a fact that the Ministry of Finance have received a complaint regarding printing of greeting cards for the highest officer in the Security Press where these notes are printed?

Shri B. R. Ghagat: This is a separate question.

Mr. Speaker: This question has no relation with the main question.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि इंडिया सिक्यूरिटी प्रैस तथा रिज़र्व बैंक खराब नोट तथा जाली नोट में भेद करने में बिल्कुल असमर्थ हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह एक उसी प्रकार का तर्क है जैसे किसी से पूछा जाए कि क्या उसने अपनी पत्नी को पीटना बन्द कर दिया है ?

नेहरू सिक्के

*258. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सूर्य प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेहरू सिक्कों के लिये किसी अन्य डिजाइन पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ग) क्या श्री नेहरू के नाम को हिन्दी में मुद्रित करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). सरकार ने निश्चय किया है कि अप्रैल 1965 से जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में 50 पैसे वाले जो सिक्के ढाले जायें उन पर उनका नाम हिन्दी में हो। डिजाइन में और कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि नेहरू सिक्कों की किसी ने भी प्रशंसा नहीं की ? यदि हां ; तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है ? क्या इन कारणों में से एक यह भी है कि पंडितजी को चित्र में नंगे सिर दिखाया गया है जबकि वह भारत में सदा ही टोपी पहने रहते थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सच तो यह है कि इन सिक्कों की मांग अत्यधिक है और हम ने इन्हें बनाना बन्द कर दिया है जिससे हम मांग पूरी करने में असमर्थ हैं।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या अप्रैल, 1965 में सरकार जो नया नमूना बनाने जा रही है क्या वह वितरण से पूर्व संसद् सदस्यों को दिखाया जाएगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : डिज़ाइन में केवल यही परिवर्तन है कि अंग्रेज़ी शब्दों के स्थान पर हिन्दी शब्द जोड़ दिये जाएंगे।

Shri Yashpal Singh: Have the Government considered the fact that Pt. Nehru never remained bare-headed, always had a cap on and this fact is against the culture of not only India but of the whole of Asia. I want to know whether the Government proposes to make this alteration in the design or not?

Mr. Speaker: Thakur Sahib can find hon. members with bare-heads, here also, before as well as behind him.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि यही चित्र ही क्यों छापने के लिए चुना गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो अभी हाल में ही पूछा गया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : हिन्दी में छापने के अतिरिक्त क्या 50 पैसे वाले सिक्कों को छोड़ कर और सिक्के भी छापने का सुझाव है जिन पर इससे अच्छा कोई और चित्र हो ?

श्री रंगा : और सिक्कों की क्या आवश्यकता है । पहला ही काफी बुरा है ।

Shri Bibhuti Mishra: In reply to my question the Minister of Finance had stated that the Government were considering the question of issuing the coins in memory of Panditji with a cap on his head. Have the Government come to any conclusion in this regard?

Mr. Speaker: He has stated that no more coins will be issued, whether with or without a cap. Only English was being replaced by Hindi.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे ठीक से याद है कि पिछली बार मैं ने यह बात स्पष्ट कर दी थी । मुझे खेद है कि यदि मैं ने इस प्रकार का कोई संकेत दिया हो कि उन सिक्कों को दोबारा बनाया जायेगा । विचार यह था कि रुपये का सिक्का कुछ विशेष संख्या में बनाया जाये और लगभग दिसम्बर के अन्त तक बन्द कर दिया जाये । 50 पैसे के सिक्के कुछ और समय तक के लिए जारी किये जाते रहेंगे । माननीय सदस्यों ने आपत्ति की थी कि हिन्दी में नहीं लिखा गया है ।

श्री विभूति मिश्र : गांधी टोपी के बारे में भी बताया जाये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उसमें परिवर्तन किया जा रहा है । उन सांचों के घिस जाने के बाद इन सिक्कों को नहीं बनाया जायेगा ।

Shri K. N. Tiwary: Why more of such coins are not being issued?

Mr. Speaker: That has been replied just now.

श्री रंगा : स्वतंत्रता से पूर्व जो भी सिक्के और नोट जारी किये जाते थे, उन पर अंग्रेज़ी और हिन्दी के अतिरिक्त तेलगू भाषा भी होती थी जिसे बोलने वालों की संख्या इस देश में दूसरे दर्जे पर है । क्या कारण है कि अंग्रेज़ी और तेलगू भी इन सिक्कों पर से हटाई जा रही है ।

श्री सेज़ियान : तामिल भी ।

श्री स० मो० बनर्जी : बंगाली भी ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

Shri Madhu Limaye: It is not proper to issue a coin in the name of an individual in a republic. Even a coin in the name of Mahatma Gandhi had not been issued. In view of that whether Government are ready to withdraw the coin?

Mr. Speaker: From where?

Shri K. N. Tiwari: My question has not been answered I wanted to know . . .

Mr. Speaker: After that two questions have been answered and you are still repeating your question.

Shri K. N. Tiwary: It has not been answered.

Mr. Speaker: It cannot be taken up now.

विदेशी मुद्रा की स्थिति

*259. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती रणुका राय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक द्वारा हाल में किये गये अध्ययन से पता चला है कि भारत की विदेशी मद्रा की स्थिति फिर संकटमय होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो संकट दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). सरकार को रिज़र्व बैंक द्वारा की गयी ऐसी किसी जांच का पता नहीं है जिसमें विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संकट की आशंका की चर्चा की गयी हो । विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति गम्भीर है, यह बात वित्त मंत्री द्वारा 17 फरवरी को सभा में दिये गये वक्तव्य तथा बजट भाषण में पहले ही मान ली गयी है । इस स्थिति को सुधारने के लिए जो उपाय किये गये हैं या जिनके किये जाने का विचार है उनकी रूपरेखा भी बजट-भाषण में दे दी गयी है ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether it is a fact that foreign exchange situation is becoming critical day by day because the persons who get licenses for in part in exchange of goods which are exported, sell these imported things at a very high price?

Shri B. R. Bhagat: Measures to prevent this are being considered. It is a fact that foreign exchange obtained in lieu of export is coming

late and it has been observed during last few months that we are receiving it in less quality. That has also been an immediate cause but it is not that the goods are sold here at double and treble rates.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether it is a fact that some of the import licences have been cancelled to improve the foreign exchange situation? If so, how many have been cancelled in private sector and how many in public sector?

Shri B. R. Bhagat: An order has been issued that the licenses, which have been issued, should be revalidated and . . .

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : आदेश जारी नहीं किया गया है । इस पर विचार हो रहा है ।

श्री ब० रा० भगत : इस पर विचार हो रहा है । मैं अपनी भूल का सुधार करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कुछ व्यापारी सार्थ, कम बीजक बना कर, विदेशों में विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है कि भारत के बाहर उन की तलाशी ली जा सके और विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके ।

श्री ब० रा० भगत : अभी तक हमने भारत के अन्दर इसके लिए उपाय किये हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि विदेशों में ऐसा करने में स्पष्ट कठिनाई है ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether it is a fact that thousands of students are prevented from going abroad for studies due to shortage of foreign exchange where as the Government are spending foreign exchange on useless items? What measures are being taken in that direction?

Shri B. R. Bhagat: It is possible that many students may not have got for permission but we have divised a scheme to permit the students of engineering science or other important subjects as well as the students who have obtained first class to go foreign centres.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या भारत सहायता क्लब को, जो अधिकतर हमारी सहायता करती रही है, विदेशी मुद्रा की कमी के बारे में जानकारी दी गयी है, ? यदि हां, तो उस कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है और किस हद तक सहायता की जायेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : भारत सहायता क्लब की बैठक इस महीने में होगी और अगले वर्ष के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में बैठक की प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि विदेशी मुद्रा का मुख्य साधन देश से वस्तुओं का निर्यात है । यदि हां, तो अगली योजना में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री ब० रा० भगत : हाल ही के महीनों में की गई कार्यवाहियों की सभा को जानकारी है । कुछ वर्षों से हम ने निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं । वास्तव में निर्यात बढ़ गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या कारण है कि हमरे बढ़ रहे निर्यात के बावजूद हमें अकस्मात् ही विदेशी मुद्रा का संकट का संकट मालूम हो रहा है ? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय-व्ययक को ठीक बनाया जाये ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय-व्ययक का प्रबन्ध बहुत से हाथों में है इस कमी का कारण यह है कि जबकि निर्यात से आय में वृद्धि होनी चाहिये। ये दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। वास्तव में एक अनुमान के अनुसार प्राप्त हुई राशि से लगभग 90 करोड़ रुपये अधिक मिलने चाहिय थे। सम्भव है कि इस के कुछ अल्प कालीन कारण हों क्योंकि जब लोग इस राशि को 180 दिन तक रख सकते हैं तो सम्भव है कि वे इसे अन्त तक रखें। इस अवस्था में अल्प-कालीन उपायों से राशि में कमी हो जायेगी। इस के साथ अन्य कारण भी हैं जिन पर ध्यान रखा जा रहा है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय-व्ययक का प्रबन्ध एक ही ओर से हो क्योंकि कई अन्य बातें भी हैं जिन से वह परिणाम निकलते हैं जो हमारे सामने हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहा गया है कि कठिनाइयां इस कारण अनुभव हो रही हैं कि इसकी अवधि 180 दिवस की है जो कि बहुत अधिक है इस 180 दिन की अवधि को घटाने के लिए सम्बद्ध देशों के साथ किस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि विदेशी मुद्रा का भुगतान अधिक शीघ्र और प्रभावी हो ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया सम्बन्धी मामले हैं और उन्हें एकदम बदल देना बहुत कठिन है। इस परिवर्तन के तात्कालिक परिणाम भी नहीं निकलेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने इस समाचार की कोई पड़ताल की है कि क़छ व्यापारी जिनको प्रतिबन्ध लगी विलास की वस्तुओं के आयात की, निर्यात बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन के तौर पर अनुमति है, नकली और जाली तौर पर निर्यात कर रहे हैं और विशेषत: उन देशों को निर्यात कर रहे हैं जहां भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं ? क्या इस बारे में कोई पड़ताल की गई है और क्या इस त्रुटि को दूर किया जाएगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक तरीका जिस के जरिए खुली और प्रतिबन्ध वाली वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, लोगों का जाकर उन देशों से रुपया लाना है जहां से सामान्यत: रुपया आने की अनुमति है। इसका हमें पता है लेकिन हम इस को रोक नहीं सकते। जो क़छ दूसरे देशों में हो रहा है, हम उसे रोक नहीं सकते। जहां तक किसी व्यापारी द्वारा निर्यात प्रोत्साहनों के दुरुपयोग का सम्बन्ध है, इस में कड़ाई बरती जा रही है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आज एक पौंड का अनधिकृत मूल्य 25.27 रुपये है जब कि इस का अधिकतम मूल्य 13.60 है और यदि हां, तो क्या सरकार ने रुपये के मूल्य में इतनी गिरावट के कारणों की जांच पड़ताल की है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इस बात को नहीं मान सकता कि इस का अनधिकृत मूल्य है। यह वह मूल्य हो सकता है जो लोग देश से बाहर देते हैं, और माननीय सदस्य स्पष्टत: बाहर की घटनाओं से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

श्री रंगा : मैं समझता हूं कि यह तर्क आपत्तिजनक है। इस से कोई मतलब नहीं कि माननीय सदस्य का सम्बन्ध किस दल से है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न यह पता लगाने के बारे में है कि देश से बाहर क्या हो रहा है; इस बात का माननीय सदस्य को पता हो सकता है कि वहां क्या हो रहा है। यह तो एक अफवाह मात्र है। इस बारे में उत्तेजित होने का कोई लाभ नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप अगला प्रश्न पुकार चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । अगला प्रश्न :

श्री रंगा : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं ने यह आपत्ति उठायी थी कि किसी सरकारी व्यक्ति के लिए ऐसे आक्षेप करना उचित नहीं है । (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इस में इरादा कोई नहीं है । अगला प्रश्न ।

नजफगढ़ नाला

+

*260. **श्री हेडा** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० क० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र में नजफगढ़ नाले की दिशा बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा और इस की पूर्ति के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, नहीं । ककरोला नियामक से यमुना तक 3000 क्यूजक पानी ले जाने के लिए नजफगढ़ नालेमें सुधार किया जा रहा है। अधिक वर्षापात अवधि में पानी को बहा ले जाने के लिए एक अनुपूरक नाले के निर्माण पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ख) अनुपूरक नाले के लिए कई एक वैकल्पिक रेखांकनों का अध्ययन हो रहा है । लागत और अन्य ब्यौरे रेखांकन के अन्तिम निर्णय पर निर्भर होंगे ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा कि सामाचारपत्रों में समाचार छपा है, क्या मंत्री महोदय ने योजना मंजूर किए जाने से पूर्व कार्य आरम्भ करने की तिथि 15 जनवरी रखी थी और यदि हां, तो क्या वह तिथि अभी भी निश्चित है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : पता नहीं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं लेकिन इस में दो नाले हैं : एक तो नजफगढ़ नाले का नव निर्माण है और दूसरा सहायक नाला है। नजफगढ़ नाले के नव-निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है और निर्माण कार्य में काफी प्रगति हो रही है । सहायक नाले के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं । कुछ बातों पर पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के बीच समझौता होना है । आशा है कि इस पर अगली बैठक में, जिसे मैं 15 तारीख को बुलाने की सोच रहा हूं विचार किया जाएगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इसे सुन नहीं सका । यह सहायक नाला है या पूरक नाला है ।

डा० कु० ल० राव : यह सहायक नाला है जो फालतू पानी की निकासी करता है ।

श्री हेडा . क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान ढ़ासा बांध पर योजना को क्रियान्वित किये जाने का क्या असर होगा ?

डा० कु० ल० राव : जब निर्माण कार्य पूरे किए जायेंगे तो ढ़ासा बांध निष्क्रिय हो जाएगा ।

Shri Yashpal Singh: May I know the efforts being made to save Rohtak from the water which is already there for the last 2 years or water which could not be taken away due to Najafgarh drain.

डा० कु० ल० राव : अब इसी बात की कोशिश की जा रही है । नजफगढ़ नाले को चौड़ा किया जा रहा है और एक सहायक नाला और बनाया जा रहा है जो रोहतक जिले में ऊपरी हिस्से से पानी निकाल सकेंगे ।

श्री कपूर सिंह: क्या इस बारे में पंजाब सरकार द्वारा व्यक्त किन्हीं विचारों पर, सहायक नाला परियोजना बनाने और क्रियान्वित करने से पूर्व विचार किया गया है ?

वास्तव में पंजाब का इस से बड़ा निकट का सम्बन्ध है । इस महीने की **15** तारीख को हम इस प्रश्न को अन्तिम रूप देंगे ।

श्री लहरी सिंह : क्या इस सहायक नाले की सीमा का काम पूरा हो गया है और इसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

डा० कु० ल० राव : जी, हां । इस में तीन सीमाएं हैं जिन का मैं ने पिछले सप्ताह निरीक्षण किया था और इस महीने अन्तिम निर्णय किया जाएगा ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Would the effect of the deepening and widening of the Najafgarh drain be that Dhasa bund would be opened to enable all the water to go into Yamuna river?

डा० कु० ल० राव : यह ऐसा है, इस को चौड़ा किया जा रहा है और ढ़ासा बांध में रेगुलेटर को बढ़ाया जा रहा है और यह आशा है कि सामान्य रूप से वर्षा होने पर कोई भी कठिनाई नहीं होगी ।

श्री हरि विष्णु कामत . प्रश्न संख्या **261** ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) (क) और (ख).

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, समय समाप्त हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां की घड़ी कुछ सुस्त थी । अब मार्शल ने इसे ठीक कर दिया है । प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : उत्तर पूरा हो जाने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह लिखित उत्तर के रूप में प्रकाशित होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चिकित्सा कालेजों में अध्यापन

*261. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेम राज :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चिकित्सा कालेजों में शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) स्तर को गिरने से रोकने के लिये क्या उपाय किये गये थे अथवा किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) देश में चिकित्सा शिक्षा का स्तर अधिक नहीं गिरा है। तथापि कतिपय तथ्यों के कारणों जिन्हें नीचे दिया गया है, सामान्यतः उतीर्ण होने वालों की संख्या बढ़ गई है। भले ही यह बात सभी संस्थाओं पर लागू नहीं होती :—

1. छात्रों की संख्या में वृद्धि
2. नये मैडिकल कालेजों की संख्या में वृद्धि
3. विशेषतया पूर्व क्लीनिकी विभागों में योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी शिक्षकों की कमी प्रशिक्षण और अनुसन्धान सुविधाओं की कमी।
4. कुछ राज्यों में कतिपय वर्गों तथा क्षेत्रों के लिए सीट सुरक्षित रखना।
5. कुछ क्षेत्रों में प्रवेश के लिए बहुत कम अंक।

(ग) निम्नलिखित उपाय बर्ते गये हैं :—

1. चिकित्सा शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए पाठ्यचर्या में परिवर्तन कर दिया गया है।
2. पाठ्यचर्या को कार्यरूप में लाने के बारे में देश के विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों को मार्गदर्शन तथा सलाह दी गई है।
3. समय समय पर कालेजों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा चिकित्सा के स्तर बनाये रखने के बारे में मेडिकल कालेजों के कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाता है।

4. चिकित्सा सम्मेलन आयोजित किये गये जिन में चिकित्सा शिक्षा शास्त्रियों तथा अध्यापकों ने देश में चिकित्सा शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श किया तथा विश्वविद्यालयों और मैडिकल कालेजों को सुधार सम्बन्धी उपाय सुझाये गये जिन्हें विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कालेज कार्यरूप में लायेंगे ताकि चिकित्सा शिक्षा का स्तर बना रहे ।

5. मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था ।

6. शिक्षण के तकनीकों में सुधार करने के लिए टीचिंग वर्कशाप आयोजित की गई ।

सोने के मूल्य

*262. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि दिसम्बर, 1964 और जनवरी, 1965 में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव बहुत अधिक बढ़ गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की अभूतपूर्व मांग तथा सोने के बढ़ते हुए मूल्यों के प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि भारत में सोने के आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, इसलिए सोने की अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय मूल्य-प्रवृत्तियों (प्राइस ट्रेण्ड्स) में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

गर्भ निरोधक सामग्री बनाने वाला कारखाना

*263. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री चांडक :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री 21 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 278 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में गर्भनिरोधक सामग्री बनाने वाले कारखाने की स्थापना के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, हां।

(ख) रबड़ के गर्भ रोधकों की फैक्टरी केरल राज्य में खोली जायेगी।

(ग) चालू योजना के अन्तिम वर्ष में।

औद्योगिक वित्त निगम को अमरीकी ऋण

*264. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम को एक करोड़ डालर का ऋण दिया है ताकि वह भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी मुद्रा दे सके ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण से क्या विशेष उद्देश्य पूरा होने की आशा है और क्या इसके अन्तर्गत उपलब्ध निधि संवरण-आधार पर उद्योगों को दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (एजेंसी फार इण्टर नेशनल डेवलपमेंट) ने औद्योगिक वित्त निगम को 1 करोड़ डालर का ऋण दिये जाने की मंजूरी दी है, लेकिन ऋण सम्बन्धी करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए।

(ख) और (ग) औद्योगिक वित्त निगम द्वारा इस ऋण की रकम का उपयोग, गैर-सरकारी क्षेत्र के उन वर्गों के उद्योगों को ऋण देने के लिए किया जायगा, जिनके बारे में औद्योगिक वित्त निगम और संयुक्त राज्य अमेरिका का अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण परस्पर सहमत होंगे।

खनिज आधारित उद्योग

*265. **श्री राम सहाय पांडेय :**
श्री हे०जी० कौजलगी:
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देब :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा चालू किया गया पूर्वविनियोजन तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण मैसूर तथा मध्य प्रदेश राज्यों में खनिज तथा वन आधारित उद्योगों से आरम्भ हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से एक विशेषज्ञ दल की सेवाएं प्राप्त की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और क्या देश के शेष राज्यों में भी यह सर्वेक्षण किये जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) दल का नेता भारत पहुंच गया है और राज्य सरकारों से प्रारम्भिक विचार विनिमय कर रहा है । फिलहाल इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत केवल मैसूर और मध्य प्रदेश के राज्य आयेंगे ।

Ceiling on per capita expenditure

*266. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kishen Pattnayak:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) Whether any proposal to impose a ceiling on per capita expenditure is under consideration with a view to collect finances for development purposes during the Fourth Plan;

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Various possibilities for limiting relatively inessential expenditure for mobilizing resources for the Fourth Plan are under examination. In this process the appropriateness and feasibility if imposition of a ceiling on per capita expenditure would be amongst the possible measures that could be considered.

(b) and (c): Do not arise.

विलिंगडन अस्पताल

*267. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल के नर्सिंग होम, स्पेशल वार्ड तथा जनरल वार्ड में रोगियों तथा शय्याओं की बढ़ती हुई संख्या को परखते हुए चौथी योजना की अवधि में इस अस्पताल में नये कमरे तथा वार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या डाक्टरों तथा नर्सिंग कर्मचारियों के लिये अधिक आवास स्थान की व्यवस्था करने के लिये और अधिक पारिवारिक क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) क्या रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये डाक्टर तथा नर्सिंग कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पलंगों की संख्या आदि के आधार पर स्टाफ की आवश्यकता का ध्यान सर्वथा रखा जाता है । विलिंगडन अस्पताल के लिये और अधिक पदों की सृष्टि करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

कलकत्ता बिजली संभरण निगम

*268. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से 1970 में वर्तमान लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कलकत्ता बिजली सम्भरण निगम को लेने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) निगम को लेने के बाद सरकार की नीति क्या होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने जनवरी, 1963 में पश्चिम बंगाल की सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त किया था।

(ख) भारत सरकार का यह विचार है कि राज्य सरकार को उस समय तक कलकत्ता बिजली सम्भरण निगम जैसे उपक्रमों को अपने हाथ में न लेने की आम नीति अपनानी चाहिए जब तक कि इसके लिये सम्बन्धित राज्यों में बिजली विकास की अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् आन्तरिक और बाह्य स्रोत पर्याप्त नहीं होते और उनको तब ही हाथ में लेना चाहिए जब राज्य सरकारें बिजली उपक्रमों के कार्य-संचालन से सन्तुष्ट हों।

अध्ययन अवकाश पर जाने वाले पदाधिकारी

*269. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन अवकाश पर गये हुए वैज्ञानिक पदाधिकारियों तथा अनुसन्धान वैज्ञानिकों के पदोन्नति सम्बन्धी हितों को सुरक्षित रखने के लिये कोई नियम है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इन अधिकारियों को ऐसे अवकाश पर होने पर अपने मूल विभाग में कार्यकारी अथवा प्रतिरूप पदोन्नति दिये जाने का अधिकार है और अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति का समय आने पर उनकी वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाती है ; और

(घ) क्या अध्ययन अवकाश से वापस आने पर उन्हें पदोन्नति सम्बन्धी लाभ दिये जाते हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। ये नियम केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकारियों पर लागू होते हैं, जिनमें वैज्ञानिक पदाधिकारी और अनुसंधान विषयक वैज्ञानिक (रिसर्च साइंटिस्ट) भी शामिल हैं।

(ख) अध्ययन-अवकाश नियमावली, 1962 (स्टडी लीव रूल्स 1962) के नियम 21 में यह व्यवस्था है कि पदोन्नति, पेंशन और वरिष्ठता (सीनियारिटी) के प्रयोजन के लिये अध्ययन-अवकाश को सेवा के रूप में समझा जायगा। अध्ययन-अवकाश पर गये अधिकारियों के पदोन्नति

सम्बन्धी हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है, यह गृह मन्त्रालय के 12 अप्रैल, 1958 के ज्ञापन संख्या 1/12/57–आर० पी० एस० में बताया गया है। सम्बद्ध नियमों की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गयी है ;

(ग) यद्यपि अध्ययन-अवकाश की अवधि को पदोन्नति और वरिष्ठता के लिए शामिल कर लिया जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अध्ययन-अवकाश पर हो और इस बीच उसकी पदोन्नति का अवसर आ जाय, तो पदोन्नति को क्रियात्मक रूप में वास्तव में तभी दिया जा सकता है जब वह अवकाश से वापस आ जाय और कार्यभार सम्भाल ले। लेकिन भावी पदोन्नति के लिए वरिष्ठता उसी तारीख से मानी जाती है जिस तारीख से, अध्ययन-अवकाश की अवधि में, पदोन्नति का अवसर वास्तव में आया हो।

(घ) जी, हां।

स्वर्ण नियंत्रण विधेयक

*270. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सर्राफ संघ ने सरकार से स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक वापस लेने तथा स्वर्ण नियन्त्रण आदेश रद्द करने की मांग की है क्योंकि इससे वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) (एक) स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को कार्यरूप देने के लिये बनाई गई व्यवस्था पर;

(दो) स्वर्णकारों के पुनर्वास पर और

(तीन) उनको दी गई वित्तीय सहायता के रूप में अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) इस सभा ने इस विषय पर विधेयक पहले ही पास कर दिया है और परिणामस्वरूप स्वर्ण नियन्त्रण को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लागू करने का कार्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग को, उसके सामान्य कार्य के अतिरिक्त सौंपा गया है हालांकि कुछ अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं। प्रमाणीकरण तथा पुनर्वसन का कार्य

राज्य सरकारों को सौंपा गया है। इस सम्बन्ध में किये गये निश्चित व्यय को बताना सम्भव नहीं है। तथापि इसका अनुमान 28·84 लाख रुपये प्रति वर्ष लगाया जाता है। अब तक राज्यों को स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिये ऋण देने के लिये 737·73 लाख रुपये की राशि पेशगी के रूप में दे दी गई है।

निर्जलिंगप्पा समिति का प्रतिवेदन

*271. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री मान सिंह पृ० पटेल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री दे० जी० नायक :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को अधिक लाभप्रद बनाने के हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने अब तक यदि कोई सुझाव दिये हैं तो वे क्या हैं और सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० क० ल० राव): (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-3912/65]** उस पर राज्य सरकार के विचार प्राप्त होने पर निर्णय होगा, जिनको इस विषय पर लिखा गया है।

करदाता

*272. श्री हेडा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मंत्री 24 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 661 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 लाख करदाताओं का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) अब तक वास्तव में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) क्या कर का अपवंचन करने वालों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या था ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू): (क) सन् 1964 के दौरान ऐसे करदाताओं का पता लगाने के लिये, जो पहले से ही आय-कर विभाग के रजिस्टरों में दर्ज नहीं थे एक तीव्र सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) 20 लाख करदाताओं के लक्ष्य को पहले ही पार किया जा चुका है ।

(ग) इसके लिये कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया था क्योंकि यह विभाग के सामान्य कार्य का एक भाग है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्टाक बाजार में मंदी

*273. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में स्टाक बाज़ार में मन्दी जारी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में औद्योगिक समवायों द्वारा स्टाक एक्सचेंजों में सममूल्य तथा अधिमूल्य पर बेचे जाने वाले शेयरों पर अधिकतम कितना बट्टा दिया गया ;

(ग) अक्तूबर—दिसम्बर, 1964 की अवधि में हाल में जारी किये गये शेयरों सहित औद्योगिक शेयरों के कितने प्रतिशत शेयर स्टाक एक्सचेंज में बट्टे पर बेचे गये ; और

(घ) उद्योगों में विनियोजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शेयर बाज़ार में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) कुल मिलाकर 1964 में स्टाक बाजार में मन्दी रही यद्यपि इस बीच कुछ अवधियों में मूल्य किसी सीमा तक अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करते रहे । वास्तव में मूल्यों में कुछ बढ़ोती 1964 में मध्य-जून और मध्य-सितम्बर में और फिर मध्य-दिसम्बर में हुई ।

(ख) अक्तूबर—दिसम्बर, 1964 की अवधि में ईक्वियटी शेयरों पर सममूल्य तथा अधिमूल्य पर दिया गया अधिकतम बट्टा 61.3 प्रतिशत था ।

(ग) अक्तूबर—दिसम्बर, 1964 की तिमाही के दौरान स्टाक बाजार की मूल्य तालिका से पता चलता है कि स्टाक बाजारों में वास्तविक रूप से विनियोजित हुए ईक्वियटी शेयरों का लगभग 22.6 प्रतिशत बट्टे पर बेचा गया ।

(घ) उद्योगों में विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 1964 में यूनिट ट्रस्ट और औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की । फिर सरकार ने 23 दिसम्बर, 1964 को टैक्स क्रेडिट योजना की घोषणा की । जिस के अनुसार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में अनुसूचित वस्तुओं का निर्माण करने वाले समवायों द्वारा जारी किये गये नये नये ईक्वियटी शेयरों पर पूंजी लगाने वालों को कुछ लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की है । सरकार ने विनियोजन बाजार में पूंजी लगाने वालों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए साधारणतः समवायों और विशेषतः स्टाक बाजारों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचना के प्रकाशन के लिए भी कार्यवाही की है ।

सौराष्ट्र में पाकिस्तानी सोने की तस्करी

*274. श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 जनवरी, 1965 के "ब्लिट्ज" में यह समाचार पढ़ा है कि पाकिस्तान से सौराष्ट्र में एक करोड़ रुपये का सोना चोरी छिपे लाया गया है ;

(ख) क्या कच्छ क्षेत्र में सोना आने की अफवाहों की कोई जांच पड़ताल की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकला ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पूछताछ करने से पता चला है कि इस अफवाह का कोई आधार नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाटकरों की शिकायतें

*275. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री हेमराज :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की एसोसियेशन ने कोई विस्तृत अभ्यावेदन किया है और यह भी सूचना दी है कि डाक्टर 22 फरवरी, 1965 से विरोध सप्ताह मनायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन डाक्टरों की मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा इस योजना को भली भांति चलाने के लिए सरकार ने अब तक यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) (क) जी, हां ।

(ख) एसोसिएशन की मांगों तथा उन पर सरकार के विचारों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 3913/65] । इन प्रश्नों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना मेडिकल अफसर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी डाक्टरों से 24 दिसम्बर, 1964 और 18 फरवरी, 1965 को विचार विमर्श किया गया । इन प्रतिनिधियों के सुझावों की जांच की जा रही है ।

डाक्टरों के लिये अध्ययन सम्बन्धी सुविधायें

*276. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा तथा केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजनाओं में काम करने वाले डाक्टरों को स्नातकोत्तर अध्ययन करने की अनुमति नहीं है जिसकी सुविधा दिल्ली विश्वविद्यालय में उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन डाक्टरों को विदेशों में आगे अध्ययन करने के लिये अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं । स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन मेडिकल अफसरों को हमेशा ही उचित सुविधायें दी जाती हैं । कर्मचारी राज्य बीमा निगम में, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है, किसी ने ऐसी अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है । यह भी आलोकन किया जाये कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन चिकित्सीय लाभ देना दिल्ली संघ क्षेत्र के अतिरिक्त जहां यह काम सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ही किया जाता है, राज्य सरकारों का वैधानिक उत्तरदायित्व है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कुछ बीमा चिकित्सा अधिकारियों ने विदेश जाने के लिए अपने पदों से त्याग पत्र दिया है । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के किसी डाक्टर ने अध्ययनार्थ विदेश जाने के लिए त्याग पत्र नहीं दिया ।

स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधायें भारत में उपलब्ध हैं और केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के बहुत से डाक्टरों ने उनका लाभ भी उठाया है ।

अमरीकी व्यापारियों का प्रतिनिधि मण्डल

*277. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कोया :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी व्यापारियों का एक प्रतिनिधि-मंडल भारत में विनियोजन के अवसरों का पता लगाने के लिये हाल में नई दिल्ली आया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच किन विशिष्ट विषयों पर बातचीत हुई ; और

(ग) क्या इस बातचीत के परिणामस्वरूप अमरीकी विनियोजन किये जाने की सम्भावना का पता लगा है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्रवाई समिति (ऐक्शन कमेटी फार इण्टरनेशनल डेवलपमेंट) द्वारा प्रायोजित, व्यापारियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल अक्तूबर 1964 में भारत आया था।

(ख) और (ग) प्रतिनिधि-मण्डल ने सरकार के प्रतिनिधियों से गैर-सरकारी विदेशी पूंजी लगाने के सम्बन्ध में केवल सामान्य विषयों पर बातचीत की थी। प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य, पूंजी लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए, खास तौर से भारत के उद्योगपतियों और निवेशकों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे।

परिवार नियोजन केन्द्र

594 श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आजकल कितने परिवार नियोजन केन्द्र चल रहे हैं ; और

(ख) 1965–66 में उस राज्य में कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) राजस्थान के नगर एवं ग्राम क्षेत्रों में इस समय काम कर रहे परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1965–66 में 22 ग्राम क्लीनिक तथा 5 नगर क्लीनिक खोलने का विचार है।

विवरण

राजस्थान में इस समय काम कर रहे परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र :—

	के द्वारा चालित	ग्राम	नगर	योग
नियमित	1. राज्य सरकार	175	45	220
परिवार	2. स्थानिक निकायों	—	—	—
कल्याण	3. ऐच्छिक संघ	—	6	6
नियोजन	4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम	—	14	14
केन्द्र		175	65	240

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित संस्थाएं भी हैं :—

1. गर्भरोधक वितरित करने वाली चिकित्सा संस्थाएं .	144	76	220	
2. चलते-फिरते परिवार नियोजन शल्य एकक . .			18	
3. राज्य परिवार नियोजन शल्य एकक			5	
योग	319	141	460	—23 शल्य एकक

वाक्-चिकित्सा प्रशिक्षण

595. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वाक्-चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बिचार अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों में वाक्-चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ छात्रवृत्तियां देने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). मैसूर में एक अखिल भारतीय वाक्-चिकित्सा संस्थान् खोलने का निश्चय किया गया है। यह संस्थान् वाणी के विकारों से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों के चिकित्सा पुनर्वास की व्यवस्था के अतिरिक्त वाक्-चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देगा ।

आपात जोखिम बीमा योजना का विस्तार

596. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आपात जोखिम (माल तथा कारखाने) बीमा योजना के अन्तर्गत जारी की गई पालिसियों की अवधि तीन महीने के लिये और बढ़ा दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अवधि को और भी बढ़ाने का है ;

(घ) क्या योजना के विस्तार से उसमें कोई समायोजन किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम की धारा 5 और आपात जोखिम (कारखाना) बीमा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बनायी गयीं बीमा-योजनाएं अब भी लागू हैं। सरकार ने, दिसम्बर 1964 में जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा, आपात जोखिम की पालिसियों को जारी रखने के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम की दरें सूचित कर दी हैं।

(ग) आपात जोखिम बीमा अधिनियमों की धारा 1 में उल्लिखित आपात जोखिम बीमा अधिनियम, आपातिक स्थिति की अवधि में, जिसकी घोषणा 26 अक्टूबर, 1962 को की गयी थी, और केन्द्रीय सरकार द्वारा इन अधिनियमों के प्रयोजन के लिए निर्धारित आगे की अवधि में लागू रहेंगे। इसलिए जब तक आपातिक स्थिति की घोषणा लागू है और आपात जोखिम बीमा योजना वापस नहीं ली जाती, तब तक इस योजना के उपबन्ध लागू रहेंगे।

(घ) और (ङ) सरकार ने, समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा (जिन की प्रतियां सभा की मेज पर रख दी गयी थीं) इस योजना में संशोधन कर दिया और इस बात की व्यवस्था कर दी कि 1963 की अन्तिम तिमाही में चालू पालिसियां बिना किसी प्रीमियम की अदायगी के, 1964 की चारों तिमाहियों में भी चालू रहेंगी। लेकिन 1964 में पहली बार ली गयी पालिसियों के लिए, 25 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन, कुछ प्रीमियम दरें निर्धारित की गयी थीं। ये उपबन्ध, अब 1965 की पहली तिमाही में चालू पालिसियों पर भी लागू कर दिये गये हैं।

व्यावसायिक चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण

597. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में व्यावसायिक रोगों के चिकित्सकों और भौतिक चिकित्सकों को शिक्षा देने वाली कितनी प्रशिक्षण संस्थायें हैं ; और

(ख) इन संस्थाओं पर कितना व्यय हुआ और कितनी राशि के अनुदान दिये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) भौतिक चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए 6 और व्यावसायिक रोगों के चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए 3 संस्थान हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण

598. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में व्यावसायिक चिकित्सा तथा भौतिक चिकित्सकों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये विदेशों में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं । के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई में 2 वर्ष की अवधि के भौतिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू कर दिये गये हैं । इन विषयों में 3–3 महीने के अल्पकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान्, बम्बई में चलाये जाते हैं ।

(ख) छात्रवृत्ति की कोई योजना नहीं है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सहायता योजना के अधीन कुछ शिक्षा वृत्तियां दी गई हैं ।

मानव दृष्टि सम्बन्धी सिद्धान्त

599. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूना में भारतीय विज्ञान अकादमी के तीसवें वार्षिक अधिवेशन में डा० सी० वी० रमन के कथित भाषण की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने मानव दृष्टि के नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि आंख के पर्दे के दोहरेपन का सिद्धान्त सर्वथा गलत है, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका आंखों के रोगों की चिकित्सा पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, चिकित्सा अनुसन्धान में कोई प्रयास करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां ।

(ख) इन सिद्धान्तों का रुचि से आलोकन किया गया है किन्तु नेत्र रोगों के उपचार में इनके किसी प्रकार के व्यावहारिक प्रयोग की अभी आशा करना बहुत असामयिक है ।

Utilisation of Grants

602. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:—

(a) whether any machinery has been devised to watch that the moneys voted by arliament are utilised properly at various levels in the spending Ministries/Departments of the Government of India;

(b) if so, the manner in which it is worked;

(c) the action, if any, taken against the officers when they incur expenditure in excess of the total grants voted by Parliament or fail to utilise the sums made available to them for specific purpose or purposes; and

(d) the number of such cases dealt with during the last four years?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b) Expenditure out of grants voted by Parliament is incurred by the Ministries and other authorities under them in accordance with the financial powers delegated to them and other procedural instructions laid down by Government from time to time. To the extent powers are not delegated, sanctions are issued with the concurrence of the Ministry of Finance. Procedures also exist enabling Ministries and other Departments to keep a close watch over the progress of expenditure during the year so as to avoid excesses over sanctioned grants and also large savings due to non-utilisation of funds allotted for specific purposes. The ultimate machinery for watching that the moneys voted by Parliament have been utilised properly at various levels is, however, the Audit Department, who bring to the notice of Government and Parliament, through the Appropriation Accounts for the various years and the Audit Reports thereon, any cases of improper use of the delegated powers.

(c) Cases of excesses over sanctioned grants or their non-utilisation are reported by Audit through the Appropriation Accounts. As regards action against the responsible officers, a distinction has to be drawn between cases of improper exercise of delegated powers arising out of inexperience or errors of judgment and those due to wilful negligence. Suitable disciplinary action in accordance with the prescribed procedures is required to be taken in the latter type of cases as well as in cases where such action is recommended by the Public Accounts Committee after their examination of the Appropriation Accounts and the Audit Reports.

(d) Information regarding the number of such cases during the last four years is not readily available and it is considered that time and effort that will be involved in its collection from all Ministries and other controlling authorities may not be commensurate with the results likely to be achieved.

आय-कर का दो बार न लिया जाना

603. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० नां० भंजदेव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अमरीका के बीच दोहरे करारोपण से बचने के बारे में समझौता सम्बन्धी वार्ता करने के लिए एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल अमरीका गया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन बातों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां । एक भारतीय कर प्रतिनिधि-मण्डल दिसम्बर, 1958 में अमरीका गया था और उसने अमरीकी प्राधिकारियों के साथ दोनों देशों के बीच दोहरे करारोपण से बचने के बारे में एक समझौता करने के लिए बात-चीत की थी ।

(ख) इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों से सम्बन्धित मामलों पर की गयी बात-चीत और अस्थायी निर्णयों को तब तक खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि समझौतों पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता और इसलिए मांगी गई सूचना देना इस समय सम्भव नहीं है ।

दिल्ली में नया होटल

*604. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में 700–800 बिस्तरों वाला होटल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक बनने की संभावना है ;

(ग) क्या उस प्रतिनिधि मण्डल ने, जो हांगकांग तथा जापान गया था, अपना प्रतिवेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि प्रस्ताव की अभी योजना बनाई जा रही है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि होटल कब पूरा बन जायेगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब बाढ़ समस्यायें

605. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की बाढ़ तथा पानी के रुकने की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका हल निकालने के उद्देश्य से गत दिसम्बर में वहां का बड़े पैमाने पर दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां तो उनके मंत्रालय द्वारा पंजाब को प्रत्येक वर्ष बाढ़ से होने वाली हानि से बचाने के लिए क्या क्या ठोस योजनाएं बनाई गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जल-जमाव के कारण गम्भीर रूप से प्रभावित कुछ क्षेत्रों का दौरा किया गया और अन्य बातों के साथ साथ पंजाब सरकार को निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया :

(1) जल-जमाव वाले क्षेत्रों, विशेषतया संगरूर और पटियाला जिलों में, मुख्य और सहायक नालों के तार-जाल का निर्माण ।

(2) सुन्दर शाखा और दिल्ली समानान्तर शाखा के ऊपरी भागों को पक्का करना ।

(3) चिकनी मिट्टी की भराई कर के नहरों के स्रवण को कम करने के लिए अनुसंधान । ये अनुसन्धान प्रथमत: प्रयोगशाला में करने चाहियें और यदि इसमें सफलता मिले तब कार्यक्षेत्रों में किये जाएं ।

(4) ग्रामीण इलाकों के फालतू पानी को वर्तमान नहरों में डालने की सम्भाव्यता की जांच करना ।

(5) जो ग्राम बार बार जलप्लावित हो जाते हैं, पम्पों के प्रबन्ध सहित गोल बांध बनाकर उन ग्रामों की रक्षा करनी चाहिए ।

(6) कुछ वर्तमान नालों को गहरा करना चाहिए ।

(7) विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसन्धान करने चाहिएं ताकि समस्या को व्यापक रूप से आंका जा सके ।

(8) नालियों के क्रासिंग के लिए जल-मार्गों के प्रबन्ध की पर्याप्तता की जांच करना ।

(9) जल-जमाव वाले क्षेत्रों में नहर के पानी पर कर बढ़ाने की सम्भाव्यता की जांच ।

नगर के स्थानीय निकाय

606. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री नगर के स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के संबन्ध में 17 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1499 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अब वह प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निश्चय किया है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, हां ।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । दखिये संख्या एल टी. 3914/65] ।

दिल्ली राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना

607. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रत्येक राज्य सरकार को ग्रामीण क्षत्रों के विद्युतीकरण सम्बन्धी अपने प्रस्तावों के परीक्षण के लिये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में एक एक गांव चुनने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से क्या उत्तर मिला है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मद्रास, बिहार, मैसूर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, केरल और पंजाब के राज्य बिजली बोर्डों से प्रार्थना की गई थी कि वे अपने राज्यों में प्रचलित ग्राम विद्युतन पद्धति को निर्देशित करने के लिये दिल्ली संघ राज्य में एक एक गांव का विद्युतन करें। इसके अतिरिक्त, दिल्ली, बिजली सम्भरण उपक्रम से प्रार्थना की गई थी कि वह केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा बनाई गई पद्धति के आधार पर एक ग्राम का विद्युतन करे। दक्षिण मद्रास बिजली सम्भरण निगम जो मद्रास राज्य का एक मुख्य लाइसेन्स प्राप्त निगम है, ने स्वेच्छा से अपनी पद्धति के आधार पर एक ग्राम का विद्युतन करने के लिये कहा था और इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया था ।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों और अन्य सम्बद्ध प्राधिकारों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और ग्राम विद्युतन कार्य अब प्रगति पर है ।

पेंशनभोगियों के लिये सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना

608. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा के लाभ देने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों के 'परिवार' की संज्ञा में उनके जो आश्रित नहीं आते उनको सरकारी स्वास्थ्य सेवा के लाभ देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां । यह योजना 1-1-65 से लागू हुई ।

(ख) विवरणों का एक नोट संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 3915/65]**

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना मोती बाग, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, एन्ड्रूस गंज, नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, कांस्टीट्यूशन हाउस और चाणक्यपुरी की केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले 8 क्षेत्रों में जन सामान्य के लिए लागू कर दी गई है। पेन्शनरों तथा सरकारी कर्मचारियों के वे आश्रित जो "परिवार" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते प्रति वर्ष 19.40 रु० का अंशदान दे कर इस योजना में आ सकते हैं ।

अखिल भारतीय लाइसेंसियेट संस्था

609. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय लाइसेंसियेट संस्था ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सभी प्रजीकृत चिकित्सों को एक ही सूची में रखा जाय और सभी सेवायुक्त लाइसेंसियेट्स को दस वर्ष की नौकरी के पश्चात् चिकित्सा के स्नातकों के समकक्ष समझा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1964 में आगरा में हुए मेडिकल लाइसेंसियेटों के अखिल भारतीय सम्मेलन में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किये गये ।

सभी रजिस्टर की जाने योग्य चिकित्सा योग्यताओं के लिए एक सामान्य अनुसूची बनाने का प्रश्न पहले से ही भारतीय चिकित्सा परिषद् के विचाराधीन है, जिस ने इस विषय में राज्य सरकारों,

राज्य चिकित्सा परिषदों, विश्वविद्यालयों आदि से उनके विचार मांगे हैं। भारत सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् के विचारों की प्रतीक्षा कर रही है। सरकार नहीं समझती कि दस वर्ष की सेवा अवधि वाले लाइसेंसियेटों के बारे में ऐसा कोई दृढ़ एवं कठोर नियम बनाया जा सके जैसा कि सम्मेलन ने सुझाया है ।

कलकत्ता के स्वर्णकार

610. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बाजार के सर्वेक्षण से पता चला है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश प्रख्यापित होने के बाद स्वयं व्यवसायी स्वर्णकारों की संख्या में वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वर्णकार ग्राहकों के घरों में या अन्य स्थानों पर निषिद्ध 22 कैरेट के आभूषण बनाते हैं और अपनी पुरानी दुकानों से केवल सम्पर्क स्थापित करने का ही काम लेते हैं ;

(ग) क्या निषिद्ध सोना कुल मात्रा की 10 प्रतिशत मात्रा में पकड़ा जाता है; और

(घ) क्या देश में चोरी छिपे लाया जाने वाला सोना विमानों या सड़क की अपेक्षा समुद्र मार्ग से अधिक लाया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) भारत रक्षा नियमावली के नियम 126 एच० एच० के अन्तर्गत स्वर्णकारों को कितनी भी शुद्धता के गहनों को पुनः बनाने के लिये अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते कि यह शुद्धता पुराने गहनों की शुद्धता से अधिक न हों। उन को ग्राहकों के घरों में तथा अन्य कहीं कार्य करने की भी छूट है।

(ग) निश्चित रूपसे यह उल्लेख करना सम्भव नहीं है कि चोरी छिपे लाये गये सोने की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत भाग पकड़ा गया।.

(घ) यह अनुमान लगाया जाता है कि हवाई जहाजों या सड़कों की अपेक्षा समुद्र से चोरी छिपे रूप में अधिक सोना लाया जाता है ।

वैसेक्टोमी

611. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार डा० एस० चन्द्रशेखर द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों से सहमत है कि वैसेक्टोमी कराने वाले उन पिताओं को अधिक पुरस्कार दिये जायें जिन के दो तीन बच्चे हैं;

(ख) क्या सरकार उन के इस विचार से भी सहमत है कि प्रजनन अवधि कम करने के लिये विवाह करने वाली स्त्रियों की सम्मति वयस बढ़ा कर 20 वर्ष कर दी जाये; और

(ग) जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के वैज्ञानिक तरीके अपनाने के बारे में जनता को बताने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं। भारत सरकार ऐसा समझती है कि परिवार नियोजन जिस में बन्धीकरण भी सम्मिलित है, उचित शिक्षा एवं अभिप्रेरणा के पश्चात स्वैच्छिक आधार पर ही किया जाना चाहिये।

(ख) जी नहीं। सभी स्वेच्छा संस्थाओं तथा समाज कल्याण एजन्सियों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय परिवार नियोजन बोड की अगस्त, 1964 में हुई बैठक की निम्नलिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता करें :—

> "कि समाज कल्याण एजन्सियों को चाहिये कि वे एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करने में सरकार की सहायता करें जिस से लोग विवाह की वर्तमान वैधानिक आयु सीमाओं का पालन करें तथा लड़कियों के विवाह की आयु और आगे बढ़ायें।"

(ग) भारत सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम में स्वेच्छा संस्थाओं त ा समाज कल्याण एजन्सियों के महत्व को मानती है। अखिल भारतीय निकायों के प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्मित महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहते हैं। उन को परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये सहाय्यानुदान दिया जाता है। वे जनता को इस सम्बन्ध में शिक्षा देने, परिवार नियोजन के लाभों का प्रचार करने तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की बड़ी सहायता कर रहे हैं।

राष्ट्रीय ऋण संस्थायें

612. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राष्ट्रीय ऋण अभिकरणों, जैसे रिजव बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम, निर्यात उधार तथा गारन्टी निगम के मुख्य कार्यालय एक ही क्षेत्र में स्थित हैं;

(ख) उन के प्रधान कार्यालयों का एक ही क्षेत्र में स्थित होने से विभिन्न खंडों में फैले हुए विकासोन्मुख और देश के, जो असमान रूप में विकसित हैं, राष्ट्रीय हितों को कितना बढ़ावा मिलता है; और

(ग) क्या सरकार को व्यापार-मंडलों और अन्य संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में यह मांग की गई है कि इन राष्ट्रीय संस्थाओं को अन्य क्षेत्रों में प्रमुख नगरों में फैला दिया जाये ताकि वहां पर चल रहे उद्योगों को बढ़ावा मिले।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां।

(ख) यह समझने का कोई कारण नहीं है कि ऋण देने वाली किसी संस्था के केन्द्रीय या प्रधान कार्यालय के किसी खास स्थान पर स्थित होने का इस बात से कोई सम्बन्ध है।

(ग) जी, नहीं।

सरकारी पेंशन भोगियों का अभ्यावेदन

613. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० क० देब :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सरकारी पेन्शन-भोगी संस्थाओं से वृद्ध और असमर्थ पेंशन-भोगियों की पेंशन का राशिकृत मूल्य निकालने के तरीके का पुनरीक्षण करने और उन को पेंशन का राशिकृत भाग पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या भावी पेंशन-भोगियों की सेवा निवृत्ति-सुविधाओं में हुई वृद्धि को ध्यान में रख कर इस मामले में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या रुपये की क्रय-शक्ति कम होने के फलस्वरूप सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय में होने वाली हानि की कुछ सीमा तक पूर्ति करने के लिये उन की पेंशन की दरों में कुछ वृद्धि कर दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां ।

(ख) पेंशन का हिसाब लगाने का सूत्र (फार्मूला) नहीं है और सेवा-निवृत्ति-लाभ में इसके सिवा और कोई वृद्धि नहीं हुई है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन योजना 1964 में निर्धारित दरों को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ा कर 25 रु० कर दिया गया है । इस का पेंशनों के राशिकृत भाग के पुनःस्थापन (रेस्टोरेशन) के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) छोटी पेंशनों में 1.10.63 से तदर्थ वृद्धि कर दी गयी है ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारिथों को मंहगाई भत्ता

614. **श्री हेडा :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1964 में मंहगाई भत्ते में तदर्थ वृद्धि होने के कारण जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को कितना वित्तीय लाभ हुआ; और

(ख) इस वित्तीय लाभ के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये बीमारी की छुट्टी काम की दशाओं में सुधार आदि क्या अन्य सुविधाय दी गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) इस का सम्बन्ध संभवत: 600 रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में दिसम्बर, 1964 में मंजूर की गयी तदथ वृद्धि से है। जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, इस के उन अधिकांश कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता, जिन का संबन्ध निगम की तीसरी और चौथी श्रेणी की सेवा से है, कर्मचारी संघ और निगम के बीच हुए करार के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के साथ जनवरी, 1965 में हुए ऐसे ही करार के अनुसार,चौथी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों में, उन के बुनियादी वेतन के क्रमश: 8 प्रतिशत और 6 प्रतिशत भाग के बराबर की वृद्धि की गयी थी। यह वृद्धि 1 अगस्त, 1964 से लागू होगी। इस अस्थायी वृद्धि के कारण, अब तीसरी श्रेणी के कर्मचारी को उस के बुनियादी वेतन के 40.5 प्रतिशत के बराबर और चौथी श्रणी के कर्मचारी को उसके बुनियादी वेतन के 54 प्रतिशत भाग के बराबर महंगाई भत्ता मिलता है।

(ख) तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को जो दूसरी सुविधायें मिलती हैं वे इस प्रकार हैं:—

(1) सेवा की कुल अवधि में सोलह महीने तक आध वेतन पर और आठ महीने तक पूरे वेतन पर बीमारी की छुट्टी;

(2) तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपये से ले कर 8,000 रुपये तक की रकम का और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 1500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक की सावधिक बीमा सुविधा (टर्म इंश्योरेंस कवर);

(3) कैंटीन संबंधी सुविधायें; और

(4) कर्मचारी और उसके परिवार के कुछ सदस्यों को बीमारी के सम्बन्ध में, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये प्रतिवर्ष तक चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की वापसी।

खाद्य अपमिश्रण के मुकदमे

615. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1964 से अब तक खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अपराधों के कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितने अभियोग चलाये गये, कितने अभियोग सिद्ध हुए तथा प्रत्येक मुकदमे में क्या सजा दी गई; और

(ग) राज्यवार उक्त आंकड़े क्या हैं तथा वे अपराध किस प्रकार के थे?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

औषध अपमिश्रण के मुकदम

616. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) 1 अप्रैल, 1964 से अब तक औषधि अपमिश्रण रोक अधिनियम के उपबन्धों के अन्तगत अपराधों के कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितने अभियोग चलाये गये, कितने अभियोग सिद्ध हुए तथा प्रत्येक मुकदमे में क्या सजा दी गई; और

(ग) राज्यवार उक्त आंकड़े पृथक पृथक क्या हैं तथा वे अपराध किस प्रकार के थे?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से महंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जोधपुर में चिकित्सा कालेज

617. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जोधपुर में एक चिकित्सा कालेज खोला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस कालेज के लिये कितनी सहायता देगी और इसके कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राजस्थान सरकार जोधपुर में एक मेडिकल कालेज खोलने के लिए अग्रिम कार्यवाही कर रही है।

(ख) इस क्षेत्र में तृतीय योजना के दौरान सहायता का स्वीकृत फार्मूला इस प्रकार है :—

अनावर्ती :—

1. उपकरणों के लिये 75 प्रतिशत बशर्ते प्रति प्रवेश 22,500 रुपये से अधिक न हो।
2. भवन के लिये 75 प्रतिशत बशर्ते नये कालेजों के लिये प्रति प्रवेश 37,500 रुपये से अधिक न हो।

आवर्ती

50 प्रतिशत बशर्ते प्रति प्रवेश 4,000 रुपये से अधिक न हो। यह राशि राज्य योजना सीलिंग में सम्मिलित है।

अनिवार्य जमा योजना

618. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बाल्मीकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा उन लोगों की राशि को वापस करने का कार्य पूरा हो गया है जिनके एक सौ पचास रुपये से कम रुपये जमा हैं;

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितने व्यक्तियों की राशि वापस करनी बाकी है और ऐसी कुल कितनी राशि है; और

(ग) इन राशियों के अब तक वापस न किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). चूंकि जमा कार्यालयों (डिपाजिट आफिसेज) में, जिनकी संख्या 14,000 से अधिक है, उन खातों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते, जिनमें जमा की गयी रकम 150 रुपये या उससे कम हो, इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि उपर्युक्त खातों के सम्बन्ध में रुपया वापस करने का काम पूरा हो चुका है या नहीं ।

Indian Currency in Bahrain

619. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Bahrain has decided to replace the special Indian currency which has so far been the main currency medium in Bahrain; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Bahrain has decided to introduce its own currency *viz.*, the Bahrain dinar and hence the replacement of the Indian rupee.

स्कूलों के लिये वैज्ञानिक यंत्र

620. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना की परियोजनाओं संबंधी पेनल ने स्कूलों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन करने के लिये एक नियोजित कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो पेनल ने क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं ; और

(ग) उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3916/65]

(ग) सिफारिशों को कारगर ढंग से अमल में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय और राज्यों के शिक्षा विभागों का ध्यान इनकी ओर दिलाया गया है ।

माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा को परिपुष्ट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य में एक विज्ञान एकक स्थापित करने के लिए पहले से ही स्वीकृति दे रखी है । शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् का विज्ञान शिक्षा विभाग विज्ञान-शिक्षा के उपकरण और साज-सामान के आदर्श और मानक निर्धारित करने के लिए एक अर्थस्वायत अभिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार कर रहा है । अन्य सिफारिशें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वैज्ञानिक साज-सामान की कुल आवश्यकताओं

के अनुमान और उसके उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में है, जिन पर विचार किया जा रहा है । इस संबंध में योजना आयोग एक कार्यकारी दल की स्थापना कर रहा है जो चौथी योजना के दौरान शिक्षा के सभी स्तरों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकताओं के प्रश्न का अध्ययन करेगा ।

पंजाब के गांवों में बिजली

621. **श्री दलजीत सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में अब तक पंजाब राज्य के गांवों में बिजली की व्यवस्था करने के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई ;

(ख) क्या पंजाब के गांवों के पिछड़े क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करने के लिये निर्धारित की गई धनराशि का इस अवधि में उपयोग कर लिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भारत सरकार ने 1964-65 के लिये पंजाब राज्य को ग्राम विद्युतन के लिये 180 लाख रुपये की स्वीकृति दी ।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये ग्राम विद्युतन स्कीम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि पंजाब राज्य के लिये नियत की गई थी।

(ख) और (ग). विशेषतया पिछड़े हुए क्षेत्रों में ग्राम विद्युतन के लिए भारत सरकार पंजाब सरकार को कोई ऋण नहीं देती है । बहरहाल पंजाब सरकार ने दिसम्बर, 1964 के अन्त तक 125 ग्रामों (नल कूपों समेत) के विद्युतन पर 128.11 लाख रुपये व्यय किए हैं । इन में से 25 ग्राम पहाड़ी इलाके में हैं और बाकी मैदानी इलाके में हैं और इन में पिछड़े क्षेत्र भी सम्मिलित हैं ।

खिजाब

622. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने सभी खिजाब निर्माताओं को हिदायतें दी हैं कि वे खिजाबों पर यह लेबल लगायें कि खिजाबों के प्रयोग से आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माताओं की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) कोलतार के रंगों वाले खिजाबों के लेबल किस प्रकार लगाये जाने चाहियें, यह 1964 में जारी किये गये औषधि एवं प्रसाधन नियमों में दिया गया है। इन प्रावधानों के अनुसार पैरा फेनिलेन–डायेमिन अथवा अन्य कोलतार

डाइबेस अथवा कोलतार–डाइ-इन्टरमीडिएट वाले सभी खिजाबों पर इस चेतावनी का लेबल लगाना पड़ता है कि इन में ऐसे तत्व हैं जिनसे कुछ मामलों में त्वचा पर उत्तेजनशीलता हो सकती है और इसलिए दी गई हिदायतों के अनुसार पहले प्रारम्भिक परीक्षण कर लिया जाये तथा इन्हें भौंए अथवा पक्ष्म रंगने के काम में भी नहीं लाया जाये क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अन्धा हो सकता है ।

(ख) इन उपर्युक्त प्रावधानों के बारे में किसी निर्माता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है । केवल एक मामले में निर्माताओं ने लेबल पर सभी भारतीय भाषाओं में चेतावनी की टिप्पणी देने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुये यह इच्छा व्यक्त की कि उन्हें यह टिप्पणी अंग्रेज़ी और हिन्दी में ही देने की अनुमति दी जाये। उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे इस चेतावनी की टिप्पणी को अंग्रेज़ी तथा उस राज्य की एक या दो स्थानीय भाषाओं में दें जहां यह वस्तु बची जानी है ।

Violation of Company Law

623 **Shri Madhu Limaye:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri P. C. Borooah:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Bishwanath Roy:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the companies and those of their officials and the sections under which cases have been registered against them throughout the country for violation of various provisions of the Companies Act, 1956 after it came into force; and

(b) the number of such persons fined or prosecuted by the courts?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). During the period 1956-57 to 1963-64, the total number of companies prosecuted and the total number of prosecutions involved were 6699 and 29167, respectively. Year-wise break-up of the numbers and other relevant information are contained in Tables 16 to 18 and Statement XI of the 7th Annual Report on the Working and Administration of the Companies Act, and Tables IX and X and Statement XI of the 8th Annual Report, copies of which were laid on the Table of the House in March and December, 1964 respectively.

As indicated in the Annual Reports, more than 90% of the prosecutions were started during the period for failure to file returns with the Registrar under Sections 159, 220 and 551, to hold annual general meetings in time, as required under Section 166 and to lay the audited accounts before the annual general meetings in terms of Section 210 of the Companies Act.

The names of the companies and those of their officials are not readily available. The time and labour involved in the compilation of such a statement would not be commensurate with the results to be achieved.

भाखड़ा राइट बैंक पावर हाउस

624. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा राइट बैंक पावर हाउस के प्राक्कलन अवास्तविक सिद्ध हुए हैं और उनमें दो बार परिवर्तन किया जा चूका है जिससे वे बढ़कर मूल प्राक्कलनों से लगभग दुगने हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, इसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) 1960 में तैयार किया गया मूल परियोजना प्राक्कलन 35.35 करोड़ रुपये का था । इस प्राक्कलन को 1964 में दुहरा दिया गया था और अब यह 59.70 करोड़ रुपय का है ।

(ख) प्राक्कलन में वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई :--

(1) भाखड़ा बांध के बिजली पक्ष की लागत के नियतन में वृद्धि ;

(2) रूस द्वारा दिये जाने वाले बिजली संयन्त्र और साज सज्जा की लागत में वृद्धि ;

(3) तार-जाल विश्लेषक अध्ययन के आधार पर पारेषण कार्यों के स्कोप में वृद्धि ।

औद्योगिक उत्पादकों की बिक्री

625. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन उद्योगों के उत्पादों की बिक्री को पूरी तरह नियंत्रित करने का है जिनको सरकार द्वारा नियंत्रित दरों पर कच्चे माल का कोटा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना से उपभोक्ताओं को कितना लाभ होने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). कुछ किस्म के कोयले और इस्पात तथा लोहे, सीमेण्ट, नाइट्रोजनपूरक रासायनिक खाद और चीनी जैसी कई वस्तुओं के मूल्यों और वितरण पर पहले से ही नियंत्रण है । लोकप्रिय किस्मों के कपड़े, मिट्टी के तेल, काग़ज़, मोटरगाड़ियों, स्कूटरों और मोटरसाइकिलों के मूल्य भी निर्धारित कर दिये गये हैं । इन उद्योगों को कुछ कच्चा माल भी नियंत्रित दरों पर दिया जाता है।

उत्पादकों को पर्याप्त लाभ पहुंचाने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार नियंत्रण सम्बन्धी नीति पर बराबर विचार करती रहती है ।

लूनकरनसर के लिये पीन का पानी

626. **श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के इंजीनियरों ने राजस्थान के इंजीनियरों के साथ परामर्श कर के लूनकरनसर और उस के इर्द गिर्द के क्षेत्रों (जिला बीकानेर, राजस्थान) को पीने का पानी पहुंचाने की योजना पर विचार करके उस को अन्तिम रूप दे दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : राज्य चीफ इंजीनियर ने लूनकरनसर तथा उससे लगे क्षेत्रों (बीकानेर जिला) में पेय जल प्रदाय के लिये जो प्रस्ताव तैयार किये हैं, उन पर जनवरी, 1965 में स्वास्थ्य मंत्रालय के इंजीनियरों ने उन से विचार विमर्श किया । इस योजना पर होने वाले खर्च को कम करने के लिये और विकल्पों की जांच करने का निश्चय किया गया था । चीफ इंजीनियर राजस्थान के संशोधित प्रस्तावों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

Trade in Salemin Metal Powder and Cobalt Oxide

627. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount that used to be realised by Government as Income-tax from the importers in respect of trade in Salemin Metal Powder and Cobalt Oxide before the actual Users Licence System was enforced;

(b) the amount now realised from the dealers in this trade after the introduction of the Actual Users Licence System;

(c) whether some major decrease in the collection of taxes have been noticed;

(d) if so, the reason therefor; and

(e) the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). The Income-tax Revenue Statistics are maintained according to major trade classifications. No separate statistics are kept in respect of Salemin Metal Powder and Cobalt Oxide. The required information is not, therefore, available.

(c) to (e). Do not arise.

क्षय रोग का पता लगाने वाले एकक

628. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या क्षय रोगों के मामलों का पता लगाने वाले चलते प्रस्तावित एक्सरे एकक स्थापित कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ;

(ग) वे किन-किन स्थानों पर काम कर रहे हैं ;

(घ) इन एककों द्वारा पता लगाये गये क्षेय रोगियों को किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ; और

(ङ) देश में ही एक्स-रे प्लांट बनाने में भारत ने कहां तक प्रगति की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). इस समय देश में क्षय रोग के मामलों का पता लगाने वाले 27 चलते फिरते एक्स-रे एकक हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर काम कर रहे हैं ।

आन्ध्र	
अनन्तपुर	1
हैदराबाद	1
मदनपल्ली	2
बिहार	
पटना	1
केरल	
त्रिवेन्द्रम	1
गुजरात	
अहमदाबाद	1
मद्रास	
मद्रास	1
मध्य प्रदेश	
भोपाल	1
दण्डकारण्य	1
महाराष्ट्र	
बम्बई	1
नागपुर	1
मैसूर	
बंगलौर	8 (राष्ट्रीय क्षय संस्था में 6 एककों सहित)
बंगलौर	1

पंजाब	
पटियाला	1
प० बंगाल	
कलकत्ता	2
दिल्ली	
दिल्ली	3
योग . . .	27

(घ) रोगियों का पता लगाने वाले सर्वेक्षणों में पता लगे रोगियों का क्षय रोग क्लिनिकों के द्वारा मुफ्त इलाज किया जाता है ।

(ङ) स्वदेशी सामग्री का प्रयोग करते हुए देश में चार फर्में एक्स-रे प्लाण्ट तैयार कर रही हैं परन्तु कतिपय विशेष पुर्जे जैसे एक्स-रे ट्यूब, हाइ टेन्सन केबल, रिलेज आदि विदेशों से ही मंगाने पड़ते हैं ।

आंध्र प्रदेश में बाढ़

629. **श्री कोला वैंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में बाढ़ के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने उस क्षेत्र का दौरा कर लिया है तथा अपनी जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया है ; और

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) विशेषज्ञ समिति ने बाढ़ द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, किन्तु अनुसन्धान अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Reforms in Income Tax Laws

630. Shri D. N. Tiwary: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Commissioner, Income-tax Bombay City-II, Bombay, in the course of his talk at a meeting of the Institute of Chartered Accountants (Western Region) Bombay

on the 17th January, 1965, expressed some views about the simplification of the existing income-tax laws; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) At a symposium organised by the Institute of Chartered Accountants, Western Region, Bombay, on 17-1-1965, the Commissioner of Income-tax, Bombay City-II, Bombay gave a talk on the simplification of the tax structure of Income-tax. He, merely indicated certain lines on which, in his view, the computation of tax could be simplified.

(b) The suggestions which were made by the Commissioner of Income-tax in his personal capacity are being looked into.

नागपुर के निकट तापीय बिजली घर

631. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री राम हरख यादव :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर के निकट एक सुपर-तापीय बिजली घर स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) क्या इस बिजली घर के लिये आवश्यक उपकरण देशी साधनों से प्राप्त किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार के अधिकारी परियोजना रिपोर्ट को अभी भी तैयार कर रहे हैं और इसलिए परियोजना की लागत क्या होगी यह बताना सम्भव नहीं ।

(ग) साज सज्जा कुछ तो अपने देश से और कुछ विदेशों से मंगवाई जाएगी ।

Prime Minister's Residence

632. Shri Ram Sewak Yadav: Will the Minister of **Works Housing** be pleased to state:

(a) the expenditure so far incurred on the renovation and remodelling of the Prime Minister's residence;

(b) the main items of expenditure;

(c) whether some further expenditure is likely to be incurred thereon; and

(d) if so, the extent thereof?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) The expenditure incurred in the Prime Minister's residence at 1, Motilal Nehru Place has been Rs. 8,340. The expenditure incur-

red so far on the renovation and remodelling of the building at 10, Janpath to serve as the office of the Prime Minister has been Rs. 96,281.50 and that on the security arrangements in the Prime Minister's Estate Rs. 85,523.50.

(b) The work at the Prime Minister's residence has been in the nature of adding a small glazed room and the strengthening of electrical arrangements. In the Prime Minister's office the old bungalow has been renovated and a Receptionist's room and hospitality block added. The electrict wiring has been changed and some air-conditioning arrangements made. The security arrangements for the Prime Minister's Estate have involved the construction of security walls and gates with arrangements for lighting at night.

(c) No final decision in this regard has been taken so far.

(d) Does not arise.

Property Tax on Jhuggi Dwellers

634. **Shri P. L. Barupal:**
Shri Surya Prasad:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that property tax is realised from Jhuggi-Jhonpri dwellers in Moti Pahari, New Pusa Road and Karol Bagh areas of New Delhi;

(b) if so, whether the jhuggi-jhonpris owned by those persons are deemed as permanent property;

(c) if not, the reasons for realisation of property tax;

(d) whether any other taxes are also realised from such citizens by Development Authority, New Delhi; and

(e) if so, which and on what basis?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No, Sir. The Jhuggi-Jhonpri dwellers in Moti Pahari, New Pusa Road and Karol Bagh areas of New Delhi are encroachers upon public land under the management of the Delhi Development Authority and while no property tax is being charged, damages are being charged from them under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958.

(b) and (c). Do not arise.

(d) No.

(e) Does not arise.

Recommendations of Patel Commission

635. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state the action being taken to implement the recommendations of Patel Commission in other districts of Eastern U.P. besides Gazipur, Azamgarh, Deoria and Jaunpur?

The Minister for Planning (Shri B. R. Bhagat): Patel Commission was appointed to make specific recommendations for four districts only and it was not intended that these recommendations would be extended, *mutatis mutandis,* to other eastern districts of Uttar Pradesh.

सरकारी विभागों में छपाई का काम

636. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, प्रयोग हुए कागज की टन-मात्रा और छपे हुए पृष्ठों की संख्या की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के विभागों के छपाई के काम में किस अनुपात में वृद्धि हुई है ;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं

(ग) क्या यह सच है कि काम में हुई इस वृद्धि के कारण सरकार की गतिविधियों के समय पर एवं शीघ्र प्रकाशन में देर होती है और

(घ) यदि हां, तो सरकारी प्रतिवेदनों व अन्य प्रकाशनों के समय पर प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) निम्नांकित सारणी में मांगी गयी सूचना दी गयी है :—

	1961–62	1962–63	1963–64
मुद्रण में प्रयोग हुआ कागज (लगभग मैट्रिक टनों में)	9,057.4	11,445.9	15,077.9
मद्रित हुए पृष्ठों की संख्या (लगभग)	11.16 लाख	11.80 लाख	14.6 लाख

(इन संख्याओं का संबंध केवल भारत सरकार के मुद्रणालयों में हुए कार्य से है । कुछ मंत्रालयों और विभागों में जैसे रक्षा, रेलवे, सूचना और प्रसारण आदि में सीधे उनके अपने मुद्रणालयों तथा राज्य सरकार के मद्रणालयों और निजी मद्रणालयों को दिये गये कार्य की गणना नहीं की गयी है क्योंकि उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है) ।

(ख) मंत्रालयों और विभागों में बढ़ते हुए कार्यकलापों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार को विकास की योजनायें चलानी पड़ीं ।

(ग) सरकारी मुद्रणालयों म उपलब्ध क्षमता से अधिक भारत सरकार का मुद्रण का कार्य बढ़ गया है । इसलिए प्राथमिकता के अनुसार कार्य किया जाता है । आवश्यक कार्यों म देर नहीं होती । कम आवश्यक कार्यों और सामान्य कार्यों में कभी कभी देर हो जाती है, क्योंकि उन्हें कम प्राथमिकता देनी पड़ती है ।

(घ) मुद्रणालय की वर्तमान क्षमता को और अधिक मशीनें दे कर या उन्हें तबदील करके तथा कार्य करने की पारी और अधिक आरम्भ कर के बढ़ाया जा रहा है । तीसरी योजना में नये मुद्रणालय स्थापित किये जा रहे हैं तथा चौथी योजना में और अधिक मुद्रणालय स्थापित किये जायेंगे ।

उड़ीसा में आय-कर की बकाया राशि

637. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में उड़ीसा में आय-कर की कुल कितनी बकाया राशि वसूल की गई ; और

(ख) उस राज्य में कितनी राशि वसूल करनी अभी शेष है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) उड़ीसा राज्य में 1-4-1964 से 31-12-1964 की अवधि के दौरान बकाया राशि की मांग में से 32,47 हजार रुपयों की धन-राशि एकत्रित की गई थी ।

(ख) 31-12-1964 को राज्य मे प्रभावी बकाया राशि 116,28 हजार रु० थी ।

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

638. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे थे ; और

(ख) 1965-66 में ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है और उसी अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशोला नायर) : (क) 178 ।

(ख) 1965-66 में राज्य सरकार का 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है । इस कार्य के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका अभी निर्णय नहीं किया गया है । मौजूदा स्वरूप के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भवनों और उपकरणों पर 90,000 रुपये का अनावर्ती खर्च तथा स्टाफ तथा औषधियों आदि पर प्रति वर्ष लगभग 20,120 रुपये का खर्च आता है ।

उड़ीसा में ग्राम आवास योजनायें

639. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में ग्राम आवास योजनाओं के लिये उड़ीसा को कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(ख) क्या राज्य द्वारा पूरी राशि का उपयोग किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). उड़ीसा की सरकार ने 1964–65 के लिए ग्रामीण आवास योजना के लिए अपने बजट में 7.67 लाख रुपयों की व्यवस्था की थी। अप्रैल 1964 से जनवरी 1965 तक वास्तव में लगभग 1.57 लाख रुपये उनके द्वारा खर्च किए गए हैं ।

Barauni Thermal Power Station

640. { **Dr. Ram Manohar Lohia:** / **Shri Kishen Patnayak:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1237 on the 10th December, 1964 and state:

(a) the reasons for not commissioning the third unit of the Barauni Thermal Station so far;

(b) whether Government propose to connect this station with other power generating stations in order to utilize it fully; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The Commissioning of the Third 15 MW unit at Barauni has been delayed due to delay in the deliveries of some of the electrical equipment and power and control cables by the foreign suppliers. All possible efforts are being made to expedite supplies.

(b) The Barauni Power Station will be inter-connected with the South Bihar Power system by a 132 KV Transmission line to Sultanganj.

(c) Does not arise.

Loans Granted to States

641. **Shri Chandak:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the amount of loans granted to States for the Construction of houses by the Life Insurance Corporation as also the amount of loans granted to each State; and

(b) whether these amounts have been fully utilised by the States; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) A statement is attached giving the required details. (Placed in *Library, See* No. LT-3917/65].

(b) and (c). Information is being collected from the State Governments and will, when received, be placed on the Table of the House.

पंजाब में परिवार नियोजन

642. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान ने पंजाब के चुने हुए जिलों में परिवार नियोजन का तीव्र कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) फोर्ड प्रतिष्ठान ने बताया है कि वे देश के विभिन्न राज्यों के पांच चुने हुए जिलों में, जिनमें पंजाब का भी एक जिला शामिल है, परिवार नियोजन कार्यक्रम समेत तीव्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 30 लाख डालर देने को तैयार है ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जापानी आर्थिक शिष्ट मंडल

643. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कोया :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास योजनाओं में जापान के अधिक भाग लेने की सम्भावना का पता लगाने के लिये जापान के औद्योगिक बैंक के ध्यान के नेतृत्व में एक जापानी आर्थिक शिष्टमण्डल हाल में नई दिल्ली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जापानी उत्पादकता केन्द्र द्वारा प्रायोजित (स्पांसर्ड) एक आर्थिक शिष्टमण्डल ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों का दौरा करते हुए, फरवरी, 1965 में भारत की यात्रा की थी और भारत-जापान आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मामलों पर, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से सामान्य रूप से बातचीत की थी ।

कलकत्ता में तस्कर व्यापार

644. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारियों ने यूनियन आफ बर्मा एयरवेज़ के एक यात्री विमान से जो 1 जनवरी, 1965 को रंगून से डमडम हवाई अड्डे पर आया था, लगभग 50,000 रुपये के मूल्य के हीरे जवाहरात का एक पैकिट बरामद किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी हां, केवल यह कि हीरे जवाहरातों का मूल्य लगभग 22,600 रु० है न कि 50,000 रु० ।

(ख) मामला कलकत्ता में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास न्याय-निर्णयाधीन है ।

केरल में हैजा

645. **श्री अ० व० राघवन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल के कई भागों में अब भी हैजा फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो महामारी को नियंत्रण में लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार मिला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हैजा की आशंका वाले 1,005 रोगियों में से 130 घातक सिद्ध हुये ।

विद्युत् जनन

646. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रविन्द्र वर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के विद्युत जनन का व्यवस्थावार, राज्यवार कार्यक्रम क्या है ; और

(ख) कोयले की किस्मवार, कितनी आवश्यकता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) चतुर्थ योजना में विद्युत उत्पादन के राज्यवार कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

X-Ray

647. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the warning given by the World Health Organisation that the use of X-Ray in the medical diagnosis was fraught with the risk of ionizing radiations; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) (i) Machines from which radiation hazard is likely, are protected so that radiation is not scattered. Necessary instructions have been issued to the State Health Directorates on precautionary/protective measures, a copy of which is attached (Placed in Library, See No. LT-3918/65). Precautions such as use of lead screens, lead gloves, lead aprons and radio-sensitive badges are taken while handling X-Ray units. Blood tests are also undertaken to measure risk to blood-forming organs.

(ii) The Atomic Energy Establishment in Bombay is conducting training courses with the help of W.H.O.

सिन्धु आयोग

648. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 की "इंडप बेसिन ट्रीटी" को लागू करने सम्बन्धी विषयों पर पुनर्विचार करने के लिये सिंधु आयोग की रावलपिंडी में हाल ही में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). जी, हां । स्थाई सिंधु आयोग की 16 वीं बैठक रावलपिंडी में 16 से 22 फरवरी, 1965 तक हुई । इस बैठक में जिन मुख्य विषयों पर वार्तालाप हुआ, वे निम्नलिखित थे :—

(1) अन्तःकालीन अवधि के चरण 2 का आरम्भ,

(2) 1965–66 के वर्ष के दौरान भारत द्वारा अतिरिक्त जल का न देना,

(3) चरण 2 के लिये जल-लेखा के फार्म तैयार करना, और

(4) भारत में से होकर पाकिस्तान को जाने वाला हुदियारा नाला ।

शिशु मरण

649. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि शिशु-मरण की घटनायें देश की कुल मृत्यु-संख्या की 50 प्रतिशत से अधिक होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी घटनाओं को कम करने के लिये जिससे राष्ट्र के संसाधनों का ह्रास हो रहा है, कोई योजना बनाई गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं। कुल रजिस्टर्ड मौतों से बाल-मृत्यु संख्या का प्रतिशत 1962 में 19.03 प्रतिशत था । भारत में संगणित बाल-मृत्यु संख्या 139 प्रति हजार है ।

(ख) इस मानव क्षति को और आगे कम करने के उद्देश्य से माताओं तथा बच्चों की वर्तमान विशिष्ट सेवाओं को सुदृढ़ करने का विचार है । इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी संलग्न है ।

टिप्पणी

गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताएं तथा बच्चे समाज के सुभेद्य भाग हैं जिनकी विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताएं हैं और उन पर निरन्तर ध्यान देने तथा उनके स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि तथा चौथी पंचवर्षीय योजनायें निम्नलिखित मौजूदा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने का विचार है।

(1) प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिये स्वास्थ्य वीक्षिकाओं (हैल्थ विजिटर) तथा दाइयों का प्रशिक्षण।

(2) अप्रशिक्षित दाइयों की पद्धति को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षित दाइयों का पंजीयन।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जरूरत मन्द माताओं को लोहा तथा कैल्शियम की टिकियां जैसे आधार अनुपूरक मुफ्त देना ।

(4) स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले बच्चों का डिपथीरिया, कुक्कुर खांसी, ब्रौन्काइटिस आदि के प्रति निरापदीकरण।

(5) रति रोगों पर शीघ्रता से नियंत्रण पाने के विचार से गर्भवती माताओं का रक्त परीक्षण।

(6) प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये सुरक्षित, साफ और सरलता से प्रसव की व्यवस्था तथा बच्चे के पैदा होने से पहले, पैदा होते समय और पैदा होने के बाद निरन्तर स्वास्थ्य की देखभाल।

(7) आपात कालीन प्रसूति सेवाओं तथा घरों पर ही प्रसव के मामलों के लिए लगभग 120 चलते फिरते एककों की व्यवस्था। इन आपात कालीन एककों को पर्याप्त विकसित प्रासविक एककों से जोड़ दिया जाएगा।

(8) बाल चिकित्सा सेवाओं का सुधार तथा उनका विकास ।

(9) मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना तथा ऐसे प्रत्येक केन्द्र में प्रसूति के पलंगों की संख्या बढ़ाना।

संसद् सदस्य होस्टल, नई दिल्ली

650. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री चि० र० राजा :
श्री ताल बेरवा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये संसद्-सदस्य होस्टल, नई दिल्ली में कितने फ्लैट बनाये गये हैं ;

(ख) क्या उक्त फ्लैटों का किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) 108 एक कमरे वाले और 36 दो कमरे वाले फ्लैट बनाये जा रहे हैं।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: POINT OF PRIVILEGE

Shri Bagri (Hissar): I want to raise a point of order.

Mr. Speaker: I do not allow this; this point cannot be put like this.

Dr. Ram Manohar Lohia: We want that the Prime Minister of the country should speak in his mother tongue, I may be allowed to raise this question under rule 224.

Mr. Speaker: But I have not received any notice to this effect.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor): There has been a convention that if Central Government's vigilance department or the intelligence department is connected with any matter, that matter can be raised in the House. About 20 members gave a calling attention notice regarding the murder of Shri Partap Singh Kairon, I want your ruling on that.

Mr. Speaker: I thought it was something connected with the Question Hour. Just possible the translation supplied to me may be incorrect. I look into it again.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ई० एम० ई० वर्कशाप्स के लगभग 3000 श्रमिकों की प्रस्तावित छंटनी

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय **प्रतिरक्षा** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उन से निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य द :

ई० एम०ई० वर्कशाप्स के लगभग 3000 श्रमिकों की प्रस्ताविक छंटनी

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : अध्यक्ष महोदय, संकट काल के दौरान ई० एम० ई० वर्कशापों में, मरम्मत के बड़े कार्य का सामना करने के लिए, मई, 1963 तक 2600 कर्मचारी भर्ती किये गये थे। तत्पश्चात् कई किस्म की, 1948 से पहले की गाड़ियों की मरम्मत का काम स्थगित करने, तथा उन में से कई का निपटारा कर देने के कारण, लगभग 2400 कर्मचारी इन वर्कशापों की आवश्यकताओं से फालतू हो गए हैं; इन में से लगभग, 1900 तकनीकी कारीगर हैं, जो प्राय:

[श्री द० स० राजू]

अधिकतर गाड़ियों के मिस्त्री और इलैक्ट्रीशन हैं, जब कि शेष संश्रित व्यवसायों से संबंधित हैं, जैसे कि फिटर, टर्नर, लुहार इत्यादि। रक्षा संस्थानों के मजदूरों को खपाने के लिए, अखिल भारतीय आधार पर, यत्न किए गए हैं, और किए जा रहे हैं, और उन के लिए कोई वैकल्पिक कार्य न मिल पाने पर ही, उन्हें छांटी किया गया है, या किया जा रहा है। सिद्धहस्त कारीगरों और मजदूरों को एक केन्द्रीय ऐजेन्सी द्वारा, उनके तुल्य अथवा निम्न नियुक्तियों पर लगाया जा रहा है, जो रक्षा संगठन में प्राप्य हों। जो, सीमा सड़क विकास बोर्ड की अग्रिम और बेस वर्कशापों में सेवा करना स्वीकार करें उन्हें उन में अन्तरित करने के यत्न भी किए जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के अन्य काम देने वाले मन्त्रालयों के अधीन इन फालतू तकनीकी कारीगरों की खपत की संभावना कम है, क्योंकि अपने अधीन गाड़ियों के लिए उन के पास, हमारी आवश्यकताओं से फालतू इन श्रेणियों के कर्मचारीगण पर्याप्त संख्या में हैं। इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है, कि राज्य सरकारों को, इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए प्रार्थना की जाए, कि आया वह, इन फालतू कारीगरों को, अपने परिवहन विभागों में खपा सकते हैं।

एक अध्ययन दल ने इन वर्कशापों के कार्यभार और उन की क्षमता को आंका है कि उन्हें गाड़ियों की वर्तमान तथा भविष्य में होने वाली मरम्मत और उन्हें रद्द करने की नीति को सामने रखते हुए पुनर्गठित किया जाए। अध्ययनदल की रिपोर्ट सरकार को दी जा चुकी है और उस का निरीक्षण हो रहा है।

छांटी के कारण पैदा होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए रक्षा संस्थानों में ऐसे सभी व्यवसायों के लिए भर्ती बन्द कर दी गई है, जिन में कि कारीगर फालतू हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार प्रतिरक्षा मंत्रालय की पुरानी 1948 वाली गाड़ी बेकार हो गयी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की मोटर गाड़ियों की संख्या क्या है, क्या उन की मरम्मत नहीं हो सकती थी। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि 31 मार्च तक छंटनी कर दिये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

डा० द० स० राजू : प्रतिवर्ष 12000 से 15000 तक मोटर गाड़ियों की मरम्मत की जा सकेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मोटर गाड़ियों से काम लिया जाता रहा परन्तु उन्हें छोड़ा चालन क्षमता को बनाये रखना जरूरी हो गया। सेना के मामलों में भी यही नीति अपनाई जाती है। अब नीति यह है कि जो मोटर गाड़ियां कुछ वर्ष और कुछ मीलों तक चल जाये तो उन्हें बेच दिया जाय और नयी गाड़ियों को काम में लाया जाये ताकि कार्य ठीक तरह चले।

Shri Buta Singh: Whether the number of those who are being retrenched has gone up and whether Government are keeping some record of them, so that they may be called at some opportune moment?

Shri Y. B. Chavan: There was only talk of retrenching about 180 unskilled labour. We are thinking that they may be absorbed somewhere else.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Whether there was any agreement with these employees that they will be retrenched after sometime.

Shri Y. B. Chavan: There was no question of such agreement.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक 13 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 223

(दो) दिनांक 13 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 224

(तीन) दिनांक 20 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 252

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3909/65]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 13 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 225

(दो) दिनांक 13 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 226

(तीन) दिनांक 20 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 248

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3910/65]

विनियोग विधेयक, 1965

APPROPRIATION BILL, 1965

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 में सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 में सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Motion was adopted

खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री **ब० रा० भगत** : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Motion was adopted

रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा--जारी

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे आय-व्ययक 1965-66 पर सामान्य चर्चा जारी रखेंगे ।

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : 1932 में मैंने रेलवे डाक्टरी सेवा में जाने का निर्णय किया था, दुर्भाग्य से मुझे चुना ही नहीं गया था । उस समय रेलवे का प्रबन्ध कम्पनी चलाती थी । सिविल सर्जन ही चिकित्सा अधिकारी होता था । बीमारियों और दुर्घटनाओं में प्रारम्भिक सेवायें उन्हीं के अधीन होती थीं । प्रत्येक क्षेत्र का एक मुख्य प्रमुख डाक्टरी अधिकारी भी होता था । स्थिति धीरे धीरे बदलती रही । आज तो रेलवे के असिस्टेंट सर्जनों का वर्तमान दर्जा वही है जो कि तीसरी श्रेणी के अराजपत्रित कर्मचारियों का है। अब तो डिस्पेंसरों, ड्रैसरों, नर्सों तथा क्लर्कों का दर्जा प्राय: एक जैसा ही है। इस कारण से वे लोग इन तथाकथित रेलवे अधिकारियों के विश्राम गृहों में नहीं रह सकते । उन बेचारों को

उन्हीं विश्राम गृहों में ही रहना पड़ता है जो कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हैं। इस प्रकार के अवसर भी बहुत कम हैं कि उन्हें श्रेणी 2 में पदोन्नत कर दिया जाय। वैसे भी पदोन्नतियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बाकी मंत्रालयों की डाक्टरी सेवायें भी इससे अच्छी हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय की सेवा इस के मुकाबले में काफी आकर्षक है। मेरा निवेदन यह है कि अन्य चिकित्सा सेवाओं की तुलना में रेलवे के चिकित्सा कर्मचारी बहुत पीछे हैं। सेवा की शर्तें, वेतन मान और उपलब्ध होने वाली सुविधायें बहुत कम हैं।

केवल यहीं पर ही बस हो जाता तो ठीक था परन्तु रेलवे में ही दूसरी सेवाओं में अर्थात् इंजीनियर और लेखापालों की सेवा की शर्तें डाक्टरों की सेवा की शर्तों से अच्छी हैं। केरल में और दूसरे स्थानों में इस प्रकार के बहुत उदाहरण हैं जहां हमारे वैज्ञानिक प्रशासन के काम में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें अच्छी सुविधायें मिलती हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस बारे में जांच की जानी चाहिये। बिलासपुर और मांडला के बीच रेलवे लाइन बनाने का काम रुका हुआ है क्योंकि इस में कम रुचि दिखाई जा रही है। यह खनिज पदार्थों के बड़े स्त्रोत का एक वन क्षेत्र है और चौथी योजना में इस लाइन के बनाने का काम आरम्भ किया जाना चाहिये। यदि बैलडिला और राजहारा क्षेत्रों में यातायात के साधन उपलब्ध कराये जायं तो वहां के बढ़िया किस्म के लोहे का अच्छा प्रयोग हो सकता है। मध्य प्रदेश में रायपुर और दुर्ग से दिल्ली तक एक और गाड़ी चलाई जानी चाहिये। छोटे छोटे स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधायें और क्रासिंग पर उपरि पुल न होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है।

भीड़ भाड़ के प्रश्न को मैं दोहराना नहीं चाहता। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए बहुत ही कम सुविधायें हैं। इस के अतिरिक्त अभी हाल ही में रेलवे मंत्री महोदय ने कहा था कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक मैडिकल कालिज खोला जायगा। रेलवे के पास काफी धन है और वह यह कार्य कर सकती है। इसी तरह राज्य कर्मचारी बीमा निगम का प्रश्न भी है। इस्पात मंत्रालय भी मैडीकल कालिज चलाने की बात कर रहा है। उद्देश्य यह है कि किसी तरह उन सेवाओं के लिए लोग तैयार किये जायं जिन की व्यवस्था कि रेलवे कर्मचारियों के बाल बच्चों के लाभ के लिए की जा रही है।

चौथी योजना के अन्तर्गत हम 20 नये मैडिकल कालिज खोले जा रहे हैं। इन में दाखिला देने की एक शर्त रखी जाय कि उसी व्यक्ति को दाखिला दिया जायेगा जो कि बाद में डाक्टरी सेवाओं में काम करेगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

Shri U. M. Trivedi (Mandsur): Our Railway Minister is very efficient, but it does not mean that there is no defect in the Railway administration. Bureaucracy is becoming strong day by day there. Railway Board has become very strong. It has got very wide powers and has come to wield so much authority that it has become virtually the master of Railway administration. I feel the necessity that some persons of integrity should be included in the Railway Board, who are well known for their integrity and the knowledge of administration.

There are so many instances where the Railway Board has done certain transactions which have not brought no credit to it. Only last year in the purchase of sleepers a great deal of bungling was done by the Railway Board. The present situation is deplorable there. The railway employees are in a very miserable plight. The service condition of Class III employees of the Railway are worst.

[Shri U. M. Trivedi]

We must not forget that they are the back-bone of the administration. The conditions of the employees have been further deteriorated by the amendment in the Payment of Wages Act.

Let me also draw the attention of the House to this fact that while the age of retirement has been raised from 55 to 58, a lacuna has been left that the extension beyond 55 years will depend upon the efficiency of the employee. This will create the situation which will bred corruption and discrimination. My opinion is that the age should be the same for all. Together there is also complaints regarding the disposal complaints against the officers. I want to stress that our system of enquiry against the officers should be based on the French System of 'Droit Administrative', where the enquiry is held by an independent tribunal. This system does not leave any scope for corruption and discrimination. We can adopt this way without any difficulty.

There is an important matter regarding 'essential' and 'non-essential'. The differentiation between the services as "essential' and 'non-essential' is almost ridiculous and should be abolished. We should also see that in the matter of amenities also, there should be no discrimination between one class and another. Special attention should be given to the problems relating to the class III staff. They are the only people who need more welfare.

Let me also stress the need of more trains. They are essential in order to meet the requirements of increasing crowd. Crowded routes should not be ignored. Situation at present is that additional trains are provided for the routes for which the demand is sufficiently insistent. State transports should not give any financial help, if they want they should be helped. The State Governments should take the responsibility of constructing the feeder roads. I also support this help to the broad-gauge. The railway administration has done well to ignore the metre gauge section and give facilities to the broad gauge section. It will ultimately be for the general advantage.

I had to say so many other things, which I will put forward while speaking on the cut motion. I congratulate the Railway Minister for making reforms in the railway administration. But the reforms which have been proposed have not yet been implemented. There are three Ministers, if they really mean and try they can do a lot.

At the end, I may say that there is a great need to pay proper attention to the needs of the class III employees. I hope some attention will be given towards this item.

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded): Mr. Speaker, I think the Railways are doing a good work. The Railways have an asset of Rs. 3,000 crores. It has 12 thousand engines, 21 thousand coaches, 344 thousand wagons and 12 lakh and 70 thousand workers, 6,800 stations. More than 50 lakh people travel in them daily and it has an income of 632 crore rupees per day. These have routes of 56,923

kilometres. Except Russia, Indian railways are of the magnitude in the public sector in the whole world. The working of railways disillusion those people who think that starting of works in the public sector will take the country to communism. I think passengers will get more railway amenities.

I congratulate the Minister for the decrease in railway accidents as is evident from the figures given by the Railway Ministry in the report relating to last years. Modern systems are being adopted in signals, and they have brought about this decrease in accidents. In 1963-64 there were least number of accidents during the last 20 years.

The Railways Ministry has adopted a proper thing in giving incentives to people who work hard. I request the Minister to remove the difficulties of the people. Recently a new zone of Secunderabad has been created. The request of our people is that Sholapur division may be removed from this zone and the union leaders have met the Minister also in this connection.

Another complaint of our people is about the seniority of railway workers. Previously the railway workers in Sholapur were temporary even after putting in service for 10 to 12 years. But after their merger with Bombay Central Railways, they have been made permanent with the result that the junior persons have now become senior. I request the Railway Minister to make permanent all the employees who have put in service for 10 to 15 years.

I have many times requested in this to make the railway line in Marathavada, which is small gauge to a broad gauge. A month back one of the railway engines went off the rails and the railway driver was killed in that. Hence it may be converted into broad gauge and make some improvements in it after making it metre gauge.

There is one station called Nanded in my constituency which needs expansion. Although Dr. Sahib has promised to do so, yet the work on it has not so far been started. I request to take that work in hand at an early date. A sum of Rs. 16 crores has already been earmarked for it from Nizam State.

The Maharashtrian government has given priority to Sholapur-Aurangabad line. I request that work on this line may also be started now.

At Kurdwada station a large number of passengers came but there are no proper arrangements of shed there. Hence at least a temporary waiting room may be constructed there.

Although Government get most income from the 3rd class passengers, yet the amenities given to them are inadequate. The 3rd class compartments are most dirty and cleaned only when the train reaches a station.

The women compartments lack amenities. They are also very crowded and no arrangements for water supply exist there. Since the women have children with them, the arrangements for drinking water should be made. The women compartments should not be fixed near the railway engine. They should be in the middle of the

[Shri Tulsidas Jadhav]

train so that at the stations etc. they may be able to get things which are sold at the platform.

The women compartments should contain amenities of sleeping coaches and men should not be permitted to enter their coaches, at-least at night time.

Some arrangements should be made about Vakav station. Some arrangements should be made about Aherwadi station also.

Shri Ramashekhar Prasad Singh (Chapra): I congratulate the Railway Minister for the presentation of the Railway Budget, which is a surplus budget. I also thank the members of the Railway Board. The Ministry of Railways have also promised for laying of more railway lines and various other expansion programmes.

[उपाध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Whenever there has been a serious situation for the country or whenever the country needed financial help badly, the same was provided by the Indian Railways. It was proved at the time of Chinese aggression too.

In the olden days there were always mutual visits by the people of Northern India and Southern India to each other's regions. That was sustained by religious practices of performing pilgrimages. Nowadays the visits are performed by farmers, students, etc. Such visits should be encouraged by railways.

Most of the people travel in 3rd class compartments. But the hon. Minister has not given any indication about the grant of facilities to this class.

In big cities there are facilities on railway stations regarding water supply, provision of latrines etc., but in small places as for example in countryside stations such facilities do not exist. Even the lighting facilities do not exist at some stations and the result is that there are theft cases of the luggage of the people. Railway protection force should be put on duty at such places.

Booking offices are not opened in time and this causes great inconvenience to people. This should be remedied.

Certain villagers are charged much by the coolies even for providing seats in the compartments which is most undesirable. There should be better arrangements for sleeping coaches even for ordinary passengers. Either you grant more facilities to the second class passengers or you eliminate it.

The long-journey trains should be driven on faster speed. The 11 Up and 12 Down train which runs between Kanpur and Allahabad is very slow and should be faster. There should be better co-ordination between the different trains. The Regional Rail Users Consultative Committees should be activised.

There should be a bridge on Ganga at Patna if you want to join northern Bihar with its southern part.

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : उपायध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे सरकारी क्षेत्र में सब से बड़ा उपक्रम है जिस में 3000 करोड़ रुपयों की पूंजी है और जिस से वार्षिक आय 630 करोड़ रुपया होती है। इसमें 12 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस के अनुसार किराये भी बढ़े हैं और सामान का किराया भी बढ़ा है ।

1964-65 में रेलवे को घाटा उठाना पड़ा। एक तो धनुषकोटि में भूकम्प के कारण एक करोड़ का घाटा हो गया। इस भूकम्प में समुद्री लहरों ने बहुत से आदमी भी बहा दिये। रेलवे मंत्री तथा उस के सहयोगियों की अथक कोशिशों के कारण पाम्बन पुल को 60 दिन में ही बना दिया और 1 मार्च से इस पर रेल चलनी प्रारम्भ हो गयी ।

भाषा सम्बन्धी झगड़ों से 1 करोड़ रुपये की रेल सम्पत्ति की हानि हुई जो जनवरी तथा फरवरी, 1965 में मद्रास में हुए ।

अब मैं तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम रेल पटरी के बारे में कहूंगा कि इस पर पिछले कई वर्षों से देर हो रही है। इसे 1966 में सम्पन्न हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो बहुतों को सुविधा मिल जायेगी और तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में बहुत से उद्योग भी शुरू हो जायेंगे।

तिरुनेलवेली जंक्शन पर एक ऊपर का पुल बहुत आवश्यक है क्योंकि इस के न होने के कारण लाखों व्यक्तियों को कठिनाई उठानी पड़ रही है। व्यक्तियों को जिन में विद्यार्थी, अध्यापक, वकील और दफ्तर के क्लर्क शामिल हैं, बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, और उन्हें जब तक द्वार नहीं खुलते खड़े रहना पड़ता है। वहां की क्षेत्रीय सरकार के पास तो इस पुल को बनाने के लिये साधन नहीं हैं। इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे अपने हाथ में ले ले और मैं रेलवे मंत्री से कहूंगा कि कभी आप वहां जावें और स्वयं वहां लोगों की कठिनाई देखें।

उन रेल के फाटकों पर जहां कोई आदमी देख भाल नहीं करता है वहां रंगदार सिगनल होने चाहियें ताकि रेल दुर्घटना न हों। वह रेल जो दूर जाती है उन की रफ्तार तेज होनी चाहिये।

धीरे धीरे भाप से चलने वाली गाड़ियों के स्थान पर डीजल और बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाई जावें। इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, रेल का बजट एक चेतावनी के रूप में आया है और यह चेतावनी हमारी रेल नियोजन के लिये ही नहीं अपितु हमारी आर्थिक नियोजन के लिये भी। जब रेल के किरायों में बढ़ोतरी हुई तो हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रेल यात्रियों को इन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रखा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा सही सलामत पूरी कर ले तो वे स्वयं बधाई के पात्र हैं।

जितने यात्रियों को ले जाने की योजना इस मंत्रालय ने बनाई थी उस में यह विफल रहे। ऐसा सिद्ध करने के लिए मेरे पास आंकड़े हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये इन्होंने यह प्रस्ताव किया था कि 2450 लाख टन के लगभग का परिवहन यह 1965-66 तक कर पावेंगे। परन्तु वह बात तो पूरी नहीं हो पाई ।

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

तीसरी पंचवर्षीय योजना में उन्हों ने कहा था कि बहुत धन लग गया है और यह अधिकतर पिछले दस पन्द्रह वर्षों में लगा है।

वर्ष 1950-51 से 1965-66 तक पूंजी तीन गुना हो जायेगी, परन्तु माल-वहन और परिवहन से आय पहले ही कम होनी आरम्भ हो गई है। इस के लिये न केवल रेलवे मंत्रालय को बल्कि पूर्ण सरकार को दोष देना चाहिये। यदि वह रेल का किराया तथा भाड़ा इस प्रकार बढ़ाते रहे तो शायद कुछ समय उपरान्त आय घटनी आरम्भ हो जायेगी।

पिछले कुछ दिनों में हमें रेलवे पर प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन और लेखा प्रतिवेदन मिले हैं। लोक लेखा समिति ने 79 मामलों की जांच की और सभी में रेलवे प्रशासन की गंभीर त्रुटियां पाई गईं। परन्तु उन त्रुटियों को दूर कौन करेगा? कई त्रुटियां जिन का लोक लेखा समिति और लेखा प्रतिवेदन में उल्लेख था, कई वर्षों से चली आ रही हैं।

लेखा-प्रतिवेदन (रेलवे), 1965 में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है:

"वर्ष 1965 में संसद् ने 5,764 लाख रुपये की 17 अनुपूरक अनुदानों को पारित किया। अनुदान संख्या 2—राजस्व—प्रकीर्ण व्यय के सम्बन्ध में 11.50 लाख रुपये की दो अनुपूरक अनुदानें बिलकुल अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान के बराबर भी नहीं हुआ।" वर्ष 1959-60 से 1963-64 तक ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें उन अनुपूरक अनुदानों की मांग की गई जो बिलकुल आवश्यक नहीं थी।

इन सब चीजों को कौन सुधारेगा? इस सम्बन्ध में न केवल रेलवे मंत्रालय अपितु सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक रेलवे प्रशासन का सम्बन्ध है यह बोर्ड प्रशासन पद्धति पर कार्य कर रहा है और सर्वसाधारण के लिये रेलवे बोर्ड के पास अपनी मांगें पहुंचाना बहुत कठिन है। संसद ने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की है। उसी प्रकार रेलवे के लिये भी संसदीय समिति होनी चाहिये जिससे संसद् जनता की ओर से अधिक प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण कर सके। निस्सन्देह, परामर्शकारी समितियां हैं। यह संसद्-सदस्यों द्वारा प्रयोकर्त्ताओं के विचार मंत्रालय के समक्ष रखने के लिये बनाई गई थीं। रेलवे परामर्शदात्री समिति, संसद् द्वारा रेलवे प्रशासन पर उचित नियंत्रण रखने के लिये पर्याप्त नहीं है। रेलवे के लिये प्राक्कलन समिति के समान शक्तिशाली समिति होनी चाहिये। और मेरा यह निवेदन है कि यह समिति यथासम्भव शीघ्र नियुक्त हो जानी चाहिये। रेलवे स्थायी वित्त समिति का भी पुनःप्रवर्तन होना चाहिये। कोई ऐसी युक्ति होनी चाहिये जिससे रेलवे बोर्ड का अबाध नियंत्रण समाप्त हो जाय। अब रेलवे बोर्ड किस प्रकार कार्य करता है? पुरुलिया—कोटसिला रेलवे के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने छोटी सी मांग की थी। यह छोटी लाइन की रेल है। इसके लिये हम 1963 में तब रेलवे मंत्री श्री दासप्पा से मिले और फिर वर्तमान रेलवे मंत्री से मिले। परन्तु इसको छोटी लाइन से बड़ी लाइन के बदलने के लिये अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। पुरुलिया छोटी लाइन रेल को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव न केवल गैर-सरकारी सदस्यों ने किया था, बल्कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी किया था। मैं यह चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन को उत्तर शीघ्र देना चाहिये।

जहां तक कलकत्ते के लिये सरकुलर रेलवे परियोजना का सम्बन्ध है, कई समितियों ने इस प्रश्न पर विचार किया । पिछले नवम्बर में यहां मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि इसको किया जायेगा । परन्तु मुझे यह देख कर विस्मय हुआ कि बजट में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और न ही ऐसा कोई संकेत है कि यह किया जायेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने संवाददाताओं को यह बताया कि उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई । 1948 के पश्चात् कई समितियों ने इस प्रश्न पर विचार किया और सभी ने सरकुलर रेलवे परियोजना बनाने की सिफारिश की । पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और परिवहन और वित्त मंत्री ने रेलवे मंत्री को इस सम्बन्ध में लिखा था और श्री पाटिल ने वचन दिया था कि वह इसकी जांच करेंगे। परन्तु मुझे पता नहीं कि इसकी जांच में कितना समय लगेगा ।

कुछ समय पहले जब मैंने फरक्का बांध परियोजना के लिये श्री पाटिल से इस सभा में बहस की थी तो सरकार और प्रशासन की ओर से इसी प्रकार का विरोध हुआ था, परन्तु इस संसद् ने उस विरोध पर सफलता पाई और अब फरक्का बांध परियोजना बन गई है । मुझे आशा है कि सरकार इस परियोजना पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करेगी जिससे यह भी एक वास्तविक चीज़ बन जाये ।

जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा यदि कलकत्ता की यातायात समस्या को हल न किया गया तो स्थिति इतनी बिगड़ जायेगी कि यह न केवल बंगाल के लिये अपितु सारे देश के लिये हानिकारक सिद्ध होगी ।

श्री शंकरय्या (मैसूर) : भारतीय रेलों का विकास एकसम नहीं हुआ है । जब कि कुछ क्षेत्रों में काफी विकास हो गया है, कुछ अन्य क्षेत्रों की पूर्णरूप से उपेक्षा की गई है । मैसूर एक ऐसा उपेक्षित क्षेत्र है । मैसूर राज्य कुछ रेल की लाइनों की मांग करता रहा है जो सभी प्रकार से उचित थीं, परन्तु वह अभी तक नहीं दी गई ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: On a point of order. There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है, श्री शंकरय्या अपना भाषण जारी रखें ।

श्री शंकरय्या : दक्षिण रेलवे में 8 डिवीज़न हैं, जिनमें से दो मैसूर राज्य में हैं और वह हैं हुबली और मैसूर प्रभाग । जो भी विकास दक्षिण ज़ोन में हुआ है वह अन्य प्रभागों में हुआ है, जब कि इन दो डिवीज़नों को पूर्णरूप से उपेक्षा की गई है । यदि इस की जांच की जाय तो यह पाया जायेगा कि दक्षिण ज़ोन के विकास पर जितनी राशि व्यय हुई है उसका 5 प्रतिशत भाग भी इन दो प्रभागों पर व्यय नहीं हुआ ।

मैसूर राज्य की अपनी रेलवे थी और यह 1950 में मिला दी गई थी । उस समय उसकी कई योजनायें थीं । एक तो हसन-मंगलौर रेलवे लाइन थी और दूसरी सत्यमंगलम-बंगलौर रेलवे लाइन थी । परन्तु पिछले 15 वर्षों में एक इंच लाइन भी नहीं बढ़ी । हमने इस सम्बन्ध में बहुत प्रयत्न किये परन्तु रेलवे बोर्ड ने हमारी एक न सुनी । जब हमने स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू जी से इस सम्बन्ध में प्रार्थना की तो उन्होंने मंगलौर पत्तन और हसन-मंगलौर रेलवे लाइन की मंज़री का आदेश दे दिया । परन्तु रेलवे बोर्ड ने घोषणा कर दी कि यह छोटी लाइन को रेल बनेगी। यह सबको पता है

[श्री शंकरय्या]

कि किसी भी पत्तन के लिये बड़ी लाइन की रेल होनी चाहिये । जब हमने इसके विरुद्ध आपत्ति की तो रेलवे बोर्ड ने कहा कि जब तक वह बड़ी लाइन की पटरी के लिये सर्वेक्षण नहीं कर लेते तब तक छोटी लाइन की रेल ही रहेगी ।

क्योंकि बिलेरी-होस्पेट क्षेत्र से मंगलौर और करवाड़ पत्तनों तक काफी मात्रा में कच्ची धातु ले जानी पड़ती है, हमने मंत्रालय से इस कार्य के लिये रेल की लाइन की मांग की थी । और यही सबसे निकट पत्तन है जहां से मैंगनीज़ और लोहे के अयस्क निर्यात किये जा सकते हैं । जब हसन-मंगलौर रेलवे लाइन मंजूर हो गई है तो कच्ची धातु को बिलेरी से मंगलौर तक ले जाने के लिये यह स्वभाविक है कि रायद्रुग और चित्तलद्रुग क्षेत्र में भी रेल होनी चाहिये । परन्तु हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई । फिर हमने गोआ-होस्पेट-गुंटकल रेल लाइन का हरिहर से सम्पर्क स्थापित करने की मांग की जिससे कच्ची धातु मंगलौर तक ले जाई जा सके । परन्तु यह मांग भी स्वीकार नहीं की गई । हुबली से करवाड़ तक रेल बनाने की मांग भी उन्होंने स्वीकार नहीं की । होस्पेट और बिलेरी से मद्रास तक कच्चा लोहा ले जाने के लिये उन्होंने होस्पेट से गंटकल के लिये एक नई लाइन की मंजूरी दे दी है । उसका अर्थ यह हुआ कि रेलवे बोर्ड वाले चाहते हैं कि या तो हम कच्ची धातु मद्रास भेजें नहीं तो उसे गोआ की तरफ भेजें । करवाड़ अथवा मंगलौर को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विभेद क्यों किया जा रहा है । वह होस्पेट से मंगलौर के लिये बड़ी लाइन की रेल क्यों नहीं बनाते ? रायद्रुग और चित्तलद्रुग के बीच और कोटूर और हरिहर के बीच दो छोटी लाइनों की आवश्यकता है । होस्पेट-कोटूर लाइन तो पहले ही है इसलिये कोटूर और हरिहर के बीच एक छोटी लाइन की आवश्यकता है । फिर भी यह नहीं किया जा रहा है । इन लाइनों के न बनने के कारण हम विदेशी मुद्रा में बहुत हानि उठा रहे हैं । क्योंकि यदि मैंगनीज़ और लोहे के अयस्क को मद्रास भेजा जाय तो परिवहन व्यय अधिक होगा और विदेशी मुद्रा में कम लाभ होगा । जब कि मंगलौर के लिये छोटी लाइन की रेल है, मद्रास और गोआ के लिये बड़ी लाइन की रेल है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विभेद क्यों है । होस्पेट क्षेत्र से धातु ले जाने के लिये सबसे निकट पतन करवाड़ है । फिर भी इसके लिये कोई रेल की लाइन नहीं है । और जब तक रेल की लाइन नहीं होगी इस क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो सकता । अतः इस विषय पर उचित ध्यान दिया जाय ।

डा० राम सुभग सिंह : यह चीज़ परिवहन मंत्रालय के सुझाव पर की जा रही है । वही यह निश्चय करते हैं कि किस पत्तन का विकास करना है और उसी के अनुसार हम रेल की लाइनों की आयोजना करते हैं ।

श्री शंकरय्या : सत्यमंगलम-चामाराजनगर रेल लाइन पर गुंटकाल से बंगलौर तक यात्रियों और माल का भारी यातायात रहता है । हम इस लाइन में सुधार के लिए और बड़ी लाइन बनाने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं । उन्होंने गुंटकल, धर्मवरम, पकाला और कटबड़ी लाइन की क्षमता बढ़ाने का कार्य आरम्भ कर दिया है । परन्तु धर्मवरम से बंगलौर की ओर पूर्ण उपेक्षा दिखाई गई है । मैसूर और बंगलौर के बीच सबसे भारी यातायात है और रेलवे को सबसे अधिक लाभ मिलता है । मैसूर सरकार ने बिजली से चलने वाली बड़ी लाइन बनाने का

निश्चय किया। जब मैंने बंगलौर-मैसूर लाइन को बड़ी लाइन बनाने और इसके विद्युतीकरण के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा तो रेलवे बोर्ड ने उत्तर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान 1950 में विलय के समय श्री हनुमंतय्या के भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं।

"हम बंगलौर और मैसूर के बीच बिजली से रेल चलाना चाहते थे। परन्तु क्योंकि अब हमारी रेलें मिला ली गई हैं इसलिये अब यह केन्द्र का उत्तरदायित्व हो गया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उस योजना को कार्यान्वित करेंगे क्योंकि बिजली काफी मात्रा में उपलब्ध है। मेरा तो यह विचार है कि सारे भारत में रेलें बिजली से चलनी चाहिये क्योंकि कोयले का उपयोग अन्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।"

मैसूर के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री निजलिंगप्पा ने रेलों के लिए सस्ते दर पर बिजली देने का प्रस्ताव किया था। परन्तु हमने यह पाया है कि इस योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैसूर-चामाराजनगर रेल लाइन के सम्बन्ध ने रेलवे बोर्ड ने आंकड़े देकर यह कहा कि सत्यमंगलम-चामाराजनगर रेल लाभकारी नहीं है। दो महीने हुए मैंने, श्री सिद्दय्या संसद-सदस्य और कुछ अन्य लोगों ने माननीय मंत्री को एक ज्ञापन पत्र दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि यह लाभकारी नहीं है।

इस लाइन के लाभकारी होने के सम्बन्ध में मैं स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अय्यंगर के भाषण से उद्धरण देना चाहता हूं। यह 1950 में मेरे कटौती प्रस्ताव के उत्तर में था।

"मुझे माननीय सदस्य के प्रस्ताव से पूरी सहानुभूति है। 43 वर्ष पहले जब कोयम्बत्तूर के एक छोटे भाग का प्रशासन मेरे पास था तो मैंने इसी रेल के लाभकारी होने के सम्बन्ध में सिफ़ारिश की थी, परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह रेल लाभकारी नहीं। परन्तु मैं भूमि की स्थिति को अच्छी प्रकार जानता हूं और मेरे विचार में यहां पर रेल के लाभकारी होने की सम्भावना का अनुमान ठीक नहीं लगाया है। अतः यह निश्चय किया गया है कि यथासम्भव शीघ्र इस रेल पर कार्य आरम्भ हो जाना चाहिये। सर्वेक्षण पूरा हो गया है और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आयेगी तो आगे कार्यवाही की जायेगी।"

यह 1950 में स्वर्गीय श्री अय्यंगर की राय थी। परन्तु 1950 के पश्चात् अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्रतिरक्षा और सुरक्षा के विचार से भी यह रेल बहुत आवश्यक है।

जहां तक वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है, 1950 से अब तक उस क्षेत्र में कई उद्योगों का विकास हुआ है। दो चीनी के कारखाने, दो कपड़ा उद्योग के कारखाने और दो कागज की मिलें स्थापित हो गई हैं। यह इस क्षेत्र की औद्योगिक उन्नति का सूचक है। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि सत्यमंगलम रेल बनाने की ओर उचित ध्यान न दिया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जायेगी।

Shri N. N. Patel (Bulsar): Just now Shri Trivedi told that the Minister is helpless. He has to agree to views placed before him by his officers. But I think he can consider that opinion carefully.

I want to draw your attention to Jhund-Kandla Railway line. Its importance cannot be minimised because Kandla is a free zone. But I think the amount allotted to it is a little less.

There is a Magdalla port near Surat. The distance between Surat and Magdalla is 8 miles. Within two years work will be started on this port. As industries are increasing day by day in Surat and Gujarat, I think the demand for laying a railway line between Surat and Magdalla will be considered sympthetically. As there is no other port near Surat, this will give some importance to Gujarat. I congratulate Shri Patil for introducing electrification upto Ingetpur. In Western railway the line uptil Verar is electrified. I want to suggest that in the Fourth Five Year Plan, in the first stage the line from Verar to Bulsar should be electrified. In the second stage from Bulsar to Baroda and in the third stage from Baroda to Ahmedabad electrification should be introduced. Billimora Wagai section is a narrow gauge one; and a very big forest is there. So this narrow gauge should be changed to broad gauge and it should be extended to Navapur. More facilities should be provided to third class passengers.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to raise a point of order. There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

Shri N. N. Patel: On small stations between Verar and Baroda, the sheds which were there 100 years before are still continuing. The work on the over-bridge near Dohad station should be completed as soon as possible. A dining car should be provided with the Gujarat Express train running between Bombay and Allahabad.

A shuttle train used to run between Surat and Vapi; but it is no longer running now. Our merchant association, municipality and the Congress Party etc., have represented to the General Manager that a shuttle train should run between Surat and Vapi. It is my humble request to Shri Patil to revive this shuttle.

There is a railway gutter on the East side of railway yard near Bulsar. There is a rainfall of 80 to 100 inches in Bulsar. The water from the yard is thrown in a culvert. During the rainy season there is three to four feet of water in that culvert which causes great inconvenience to the buses going to Bulsar. I want to suggest that the water from the yard should be thrown in river about 3 furlongs away from the East side of the yard.

On January 8, I received a letter from the Personnel Officer Reservation (Railway) that they are not getting candidates from Scheduled Tribes. He requested me to send some candidates, if possible. I wrote a letter to the editor of the paper "Gujarat Mitra" and "Pratap" of Surat to publish my letter in the interest of Scheduled Tribes. Both the newspapers published my letter. I received 400 applications. Out of them I sent 300 applications to Shri Brown, Personnel Officer. Whenever candidates from Scheduled Castes or Scheduled Tribes have to be recruited then the advertisement for the purpose should not be inserted in "Times" or "Free Press" because that is not read by persons from Scheduled Castes or Tribes. The advertisements should be inserted in papers which are in their regional languages.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : रेलवे बजट पर बोलते हुए मुझे पहले बढ़ते भाड़ों का जिक्र करना है। 1952 से 1962 तक छः बार रेलवे भाड़े बढ़े और मेरी जानकारी के अनुसार पहले दर्जे में 35 प्रतिशत दूसरे दर्जे में 25 प्रतिशत तथा तीसरे दर्जे में 23 प्रतिशत वृद्धि हुई। परन्तु अन्य दर्जों की अपेक्षा तीसरे दर्जे के यात्री के लिये केवल कुल स्थान का बीसवां भाग ही बच रहता है जब कि तीसरे दर्जे का यात्री रेलवे की आय का सब से बड़ा भाग देता है। यद्यपि पायदान पर खड़े हो कर यात्रा करना कानूनी अपराध है परन्तु ऐसी स्थिति में जब बैठने का स्थान हो ही नहीं यात्री पायदान पर खड़ा हो कर ही यात्रा करेगा।

इन परिस्थितियों में तीसरे दर्जे के भाड़े नहीं बढ़ाने चाहियें जब तक रेलवे मंत्री उनके लिए बैठ कर यात्रा करने के पर्याप्त स्थान की व्यवस्था नहीं कर पाते। रेलवे मंत्री ने कहा कि भाड़ा वृद्धि का एक कारण रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि है। परन्तु मेरे विचार में यह सच नहीं है क्योंकि रेलवे विभाग ने इस भते में वृद्धि करके कोई "बख्शीस" नहीं दी क्योंकि यह सरकार ने एक मांग की पूर्ति के परिणामस्वरूप किया है।

महंगाई भते दिये जाने की भी अपनी एक कहानी है—कोई भी मांग सरकार के समक्ष रखने तथा इन मांगों पर ध्यान-आकर्षण के लिए—यदि स्मृति-पत्रों आदि का मार्ग अपनाया जाए तो सरकार कोई ध्यान नहीं देगी। परन्तु यदि यही मांगें आन्दोलनों के रूप में रखी जातीं हैं तो सरकार अवश्य उन पर ध्यान देती है।

सरकार ने चीनी आक्रमण के दौरान बचन दिया था कि औद्योगिक श्रमिकों को अन्न उपलब्ध कराया जायगा परन्तु सरकार का कौन सा मंत्रालय इसका व्यय भार सम्भालेगा। इसके अभाव में अन्न नहीं पहुंच सका। असम, उत्तर बिहार, तथा उत्तर बंगाल जैसे सुदूर क्षेत्रों में रेलवे व्यवस्था सब से कम है —मेरा मतलब पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से है जहां प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को तो तीन वेतन वृद्धियां दी जाती हैं परन्तु तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इनसे वंचित रखा जाता है। अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी सीमान्त क्षेत्र भता दिया जा रहा है—यह सब देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय रेलवे मंत्री इस पर विचार करेंगे।

[श्री प्रिय गुप्त]

अब मैं नैमित्तिक श्रमिकों (कैजुअल लेवर) की कठिनाइयों का वर्णन करूंगा । रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तीन वर्ग हैं--एक वह जिनकी भर्ती खुले तौर पर होती है और जिन्हें केन्द्रीय वेतन आयोग की दरों के अनुसार वेतन दिया जाता है । दूसरे वह हैं जो निर्माण कार्यों में काम करते हैं और जिन्हें छः मास की अवधि के पश्चात् नियमित सेवा के लिए रखा जाता है और तीसरी तथा अन्तिम श्रेणी के श्रमिक चाहे जितनी लम्बी सेवा करें वह नैमित्तिक वर्ग में ही रखे जाते हैं । श्रमिकों के लिए चाहे वह सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी--उनके वेतन का विनियमन सरकार ने कर रखा है, रेलवे के लिए रेलवे बोर्ड यह नियम बनाता है परन्तु क्षेत्रीय रेलवे अधिकारी इनका अर्थ अपने ही ढंग से निकालते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन निर्धन वर्गों को अपना अधिकार नहीं मिल पाता और जहां बड़े-बड़े अधिकारी सरकारी व्यय में बचत का दावा करते हैं वहां यही बचत करने के लिए धन का अपव्यय करते हैं और ऐसे श्रमिक जो छः मास की सेवा के पश्चात् नियमित हो जाने थे--कई वर्षों की सेवा के बाद भी नैमित्तिक बने हुए हैं । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा और एक ही स्थान पर एक ही तरह का काम करने पर एक जैसा वेतन नहीं दिया जाता--यह भेद-भाव क्यों है और उनकी उचित मांगें क्यों पूरी नहीं की जाती हैं ? रेलवे की भी अपनी मशीनरी होनी चाहिये जो मजूरी निर्धारित कर सके ।

"मैरीन स्टाफ" के सम्बन्ध में मैंने रेलवे बोर्ड और चेयरमैन को लिखा था । परन्तु इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । जब तेज़पुर से सेना और रेलवे के बड़े बड़े अफसर भाग गये थे और वहां के डिप्टी कमिश्नर चले आये थे, उस समय मैरीन स्टाफ के लोग वहां गये थे और वहां काम किया था । आज ब्रह्मपुत्र पर पुल के निर्माण के कारण मैरीन स्टाफ को सेवा से निकाल दिया जायेगा । ज़िला मैकेनिकल इंजीनियर ने कर्मचारियों को कलकत्ता और फरक्का बांध पर स्थानान्तरित कर दिया है । उन में से कुछ को वहीं रेलवे के काम में लगाया जा सकता था परन्तु यह बात स्वीकार नहीं की गई और लगभग एक सप्ताह की बैचेनी और कठिनाईयों के बाद यह बात स्वीकार की गई । उन लोगों को कलकत्ता पहुंचने पर कहा गया कि मार्ग में लगे समय के लिये उन्हें वेतन नहीं दिया जायेगा । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें ।

उत्तर सीमा रेलवे के एस० एण्ड सी० और बी० जी० सी० पी० कर्मचारी जंगलों में काम करते हैं । रेलवे बोर्ड और मंत्रालय को उन्हें उस रेलवे तथा अन्य रेलों में रिक्त स्थानों पर लगाना चाहिये । इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि तकनीक कर्मचारियों को दूसरे कामों पर न लगाया जाये । सरकार कहती है कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी है । इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

अब मैं सुरक्षा के मामले को लूंगा। ड्राईवरों को बाध्य किया जाता है कि वे ऐसे इंजनों को भी चलायें जो कि खराब हैं और मजबूर किये जाने पर जब वे ऐसा इंजन ले जाते हैं तो सुरक्षा निरीक्षक उन्हें इसलिये पकड़ता है कि वे इस प्रकार का इंजन क्यों चला रहे हैं। प्रत्येक बायलर या इंजन के काम करने का निश्चित समय होता है। हमारे अधिकतर इंजन बुरी हालत में हैं। उनकी मरम्मत नहीं कराई जाती न ही उनके स्थान पर दूसरे इंजन लगाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार बहुत से परिपत्र परिचालित करती है। परन्तु उन्हें लागू करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जाते। सुरक्षा संगठन परिवहन मंत्रालय के अधीन होना चाहिये न कि रेलवे मंत्रालय के अधीन। सतर्कता संगठन महा प्रबन्धक के अधीन नहीं होना चाहिये। उसे गृह-कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय के अधीन रखा जाना चाहिये। सतर्कता संगठन के लिए जो अतिरिक्त सदस्य है उसे पूरा सदस्य बनाना चाहिये।

धनुषकोटि में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि तूफान की सूचना चार सूत्रों से प्राप्त होने पर भी गाड़ी को वहां भेजा गया। इसके परिणामस्वरूप पूरी गाड़ी तथा 150 मील रेलवे लाईन बह गई। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह लज्जा की बात है कि उस के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई।

कोचिंग स्टाफ तथा गुड्स क्लर्कों को माल की बुकिंग के लिए दरों की एक सूची दी जाती है और वह व्यापारियों से उस दर पर भाड़ा लेते हैं। अकस्मात् ही उन दरों में परिवर्तन कर दिया जाता है और कर्मचारियों से कहा जाता है कि ठेकेदारों तथा व्यापारियों से अन्तर की वसूली करें। छः महीने की अवधि के बाद वे कहां जायें और अन्तर की वसूली करें। यदि वे ऐसा न कर सकें तो उसे उन के नाम डाल दिया जाता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति डिब्बों को अलॉट करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। यदि बाद में डिब्बे अलाट करवाने वाली पार्टी नहीं आती तो उन पर विलम्ब शुल्क और जुर्माना कर दिया जाता है और उन के वसूल न होने पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के नाम में डाल दिये जाते हैं। क्या यह उचित है कि इन लोगों को उस बात के लिए दंड दिया जाये। जिस में उनका कोई दोष नहीं है।

रेलों में दो प्रकार की समय सारणी चलती हैं। एक लोगों के लिए है। जिसमें गाड़ियों के स्टेशनों पर आने और जाने सम्बन्धी सूचना दी होती है और दूसरी गुप्त समय सारणी है जिस में केवल गाड़ी छूटने का समय दिया जाता है। यह गुप्त समय सारणी और जनता के लिए समय सारणी दोनों ही गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों और स्टेशन कर्मचारियों को दी जाती है।

अन्त में मैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कटिहार में बड़ी लाइन को कटिहार के बड़े स्टेशन से नहीं जोड़ा गया है। जिस से यात्रियों को विशेषतया

[श्री प्रिय गुप्त]

रात्रि को यात्रा करने वालों के बहुत कठिनाई और असुविधा होती है । डा० राम सुभग सिंह जी ने यह वचन दिया था कि उत्तर-पूर्वी सीमा रेलवे तथा उत्तरी रेलवे की गाड़ियों से मेल करने के लिए मनिहारी घाट तथा साकरीगली घाट नौका सेवा की दूसरी पारी फिर से चालू की जायेगी । मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जाये ।

अब मैं शिक्षा पर खर्च किये जाने वाले धन को लौटाने के बारे में कहना चाहता हूं । मैं इस नीति को समझ नहीं पाया । नियमों के अनुसार हर एक विद्यार्थी को 3 रु० शिक्षा शुल्क के लिये लौटाये जायेंगे जब कि रेलवे के स्कूलों में 4 रु० लिये जाते हैं । बोंगायगांव और मारीयानी स्कूलों को रेलवे प्रशासन अपने अधीन लेने वाला था उसका क्या हुआ है ? इस पर शीघ्र निर्णय होना चाहिये । हमारी अन्य मांगों पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

मैं डाक्टरी परीक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि 'इसीहारा' प्रकार की डाक्टरी परीक्षा सभी श्रेणियों की होनी चाहिये । यह केवल तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये ।

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि): उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्री बधाई के पात्र हैं वह इसलिये नहीं कि उन्होंने तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कार्य किया है बल्कि उन की समस्याओं को समझने और हल करने की क्षमता के कारण । जब उत्तर–पूर्वी ज़ोन बनाया गया था तो उस की कार्यकुशलता में बहुत त्रुटियां थीं। उस में व्यय भी बहुत था। इस का कारण रेलवे प्रशासन की लापरवाही थी। इससे कुछ अनुभव सीखना चाहिये ।

अब दक्षिण-केन्द्रीय ज़ोन बनाया गया है । यहीं पर पहले निज़ाम-राज्य रेलवे थी। उसका कार्य बहुत कुशलता से होता था । निज़ाम रेलवे ने बहुत सी नई लाइनों के बनाने का कार्यक्रम बनाया था परन्तु उस की उत्तराधिकारी केन्द्रीय रेलवे ने उन को पूरा नहीं किया । अब यह जो दक्षिण-केन्द्रीय ज़ोन बनाया गया है इससे आशा करनी चाहिये कि यह शेष कामों को पूरा करेगा और रेलवे मंत्रालय आवश्यक सहायता देगा । इनमें कार्यालयों के लिये भवनों के निर्माण का कार्य ही नहीं बल्कि नई लाइनें बनाने का कार्य भी है ।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सिकंदराबाद में रेलवे के विकास के लिये बहुत सी भूमि दी है और शायद यह बिना मूल्य के दी गई है । अब यह रेलवे प्रशासन का कार्य है कि वहां पर एक बहुत बड़ा कारखाना (वर्कशप) बनाये । जब पेरम्बूर का कारखाना बनाया गया था तो उस समय हैदराबाद म रेल के डिब्बे और अन्य सामान बनाने की सुविधायें उपलब्ध थीं परन्तु कई राजनैतिक कारणों से यह कारखाना पेरम्बूर में चालू किया गया । प्राक्कलन समिति ने भी सिफारिश की है कि रेलवे प्रशासन को इस कारखाने को बढ़ाना चाहिये ।

आंध्र प्रदेश के लोग गोदावरी नदी पर पुल बनाने के बहुत अधिक इच्छुक हैं। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया भी है। इस पुल पर कुल ढाई करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। वे चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार भी इस में सहायता करे। मेरा विचार है कि रेलवे मंत्री इस में अवश्य ही सहायता कर सकते हैं।

मंत्री महोदय जब राज्यों में स्वयं जा कर कहीं यह दुर्दशा देखते हैं तो वहां उसी समय सहायता का आश्वासन दे देते हैं। यदि कोई केन्द्रीय मंत्री आंध्र प्रदेश में जा कर देखे तो वह इस बात को मानेंगे वहां ऐसी सहायता की कितनी अधिक आवश्यकता है। इसमें केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये।

रेलवे मंत्री एक बहुत कार्यकुशल मंत्री सिद्ध हुए हैं। जिस मंत्रालय का भी उन्होंने कार्यभार लिया है बहुत अच्छी तरह किया है। आज लोग रेल द्वारा अपना माल नहीं भेजते। वह रेलवे में सुरक्षा अनुभव नहीं करते। और लोग अपना माल मोटर परिवहन द्वारा भेजना पसन्द करते हैं। अब जब कि कार्यकुशल मंत्री इसके कर्णधार हैं तो उनको लोगों की यह धारणा दूर करनी चाहिये।

रेलवे मंत्री ने बिना टिकट के यात्रा के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा पुलिस को भी लगा दिया है। यह बहुत अच्छा किया है। रेलवे के सभी कर्मचारियों में यह भावना उत्पन्न की जानी चाहिये कि रेलें देश की सम्पत्ति और रेलवे कर्मचारी उसके मालिक हैं। सभी का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि इस सम्पत्ति का ध्यान रखे।

बहुत सी नई लाइनें बनाये जाने का विचार है। मेरा सुझाव है कि हैदराबाद और बस्तर तक लाइन बनायी जानी चाहिये।

पहले भूतपूर्व राजा और महाराजा सैलूनों में यात्रा करते थे परन्तु आजकल रेलवे के अधिकारी सैलूनों का प्रयोग करते हैं। मेरा सुझाव है कि यह बन्द होना चाहिये।

Shri Himatsinka (Godda): Mr. Deputy Speaker, my friend has just now said that officers should not be allowed to travel by saloons. The Railway Officers travel in saloons when they are on duty. They have to remain on duty for days together. They must be provided this facility.

I request that adequate protection should be provided to the Railway officials when they are put on ticket checking duties.

We should inculcate a feeling of nationalism. People should regard Railway property as a national trust, checking of ticket-less travel should also be increased. I travel from Calcutta to far off places. I do not find the frequency of checking adequate.

Santhal Pargana is a big district of Bihar. Major part of this district is not served by Railways. There have been proposals to lay railway lines during the last 50 years but nothing practical has been done. I request that Pirpanti and Godda should be connected by a railway line. It will help a great deal in removing travel difficulties in this area.

[Shri Himatsingka]

I have often found that passengers travelling in first class compartments shut the door of compartment from inside during night. It causes great inconvenience. Necessary arrangements may be made to avoid this difficulty of passengers who have to catch the train on way side stations.

I have said so many times that proper attention should be paid to sanitation at Railway stations. The sanitation staff should be made to realise that they are responsible for this throughout the day and night. They should discourage passengers in spoiling the Railway premises etc. With these words I conclude my speech.

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : इस वर्ष के बजट में माल के यातायात से होने वाली आमदनी में कमी हुई है और कार्यवहन पर खर्चा बढ़ गया है। माननीय मंत्री का अनुमान है कि इस वर्ष हमारा माल ढोने का लक्ष्य एक करोड़ टन होगा परन्तु चालू वर्ष में यह 30 लाख का भी पूरा नहीं हो सका। कोयले, कच्चे लोहे आदि के उत्पादन में कमी हुई है अतः इस बारे अधिक सम्भावना नहीं है। परन्तु आगामी वर्ष में इस्पात के संयंत्रों में विस्तार तथा कृषि और उद्योग के उत्पादन में वृद्धि की आशा है। अतः रेलवे द्वारा यातायात बढ़ेगा।

उन्होंने किराये तथा वस्तु भाड़े में वृद्धि को उचित बताया है। क्योंकि खर्चे बढ़ने की आशंका है इसलिये इस वृद्धि का समर्थन करना चाहिये।

प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि अवयक्षण रक्षित निधि (डेप्रिसियेशन फन्ड) में कुल 20 करोड़ रु० दिये जायें और जैसा कि 85 करोड़ रु० देने का विचार है वह न किया जाये। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। मेरा विचार है कि अवयक्षण रक्षित निधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण निधि है और इसके लिये अधिकाधिक धन दिया जाना चाहिये। बहुत सी दुर्घटनायें इसलिये होती हैं कि इंजनों आदि की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं होती। यह इसी निधि से ही है कि हम देखभाल का काम सुचारु रूप से कर सकते हैं।

रेलवे की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये एक विशेष सप्ताह अथवा महीना मनाया जाना चाहिये।

[**श्री सोनावने** पीठासीन हुए
Shri Sonavane *in the Chair*]

रेलवे की 1963-64 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बहुत सी त्रुटियों और वित्तीय अनियमिताओं का उल्लेख है। रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। फिर चोरी की बहुत घटनायें होती हैं। उनके बारे में भी आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये। सभा की प्राक्कलन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बारे में सुझाव दिये हैं।

रेलवे की आय में कमी होने का एक कारण मोटर परिवहन से मुकाबला है। रेलवे को लोकप्रिय बनाने के लिये विशेष कार्यवाही की जानी चाहिये। रेलवे में कार्य कर रहे डाक्टरों की मांगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और उनकी कठिनाईयों को दूर किया जाना चाहिये।

कलकत्ता में सरकुलर रेलवे बनाने की ओर सभी को ध्यान देना चाहिये । मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस कार्य की पूर्ति में और विलम्ब न किया जाय । अन्त में मैं पाउसकरा से हालडिया की लाइन के बारे में कहूंगा कि इसके निर्माण कार्य में कुछ ढील सी आ गई है । यह महत्वपूर्ण कार्य है इसको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये ।

श्री सोलंकी (कैरा) : इस बजट का मैं स्वागत करता हूं । रेलवे के कार्यों में वर्तमान मंत्री ने बहुत रुचि दिखायी है । मैं अन्य मंत्रालयों को कई बार पत्र लिखता हूं तो उत्तर तक प्राप्त नहीं होता परन्तु रेलवे मंत्रालय बहुत कार्यकुशलता से कार्य कर रहा है ।

किरायों और वस्तु भाड़े में वृद्धि के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी । यह ठीक है कि वस्तु भाड़े की वृद्धि केवल ऐसी वस्तुओं के बारे में की गई है कि जो दिन प्रति दिन के काम की नहीं जैसे सीमेंट । परन्तु इस का अप्रत्यक्ष रुप से अन्य वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा ।

कुछ वस्तुओं पर वस्तु भाड़ा इसलिये कम किया गया है ताकि वे सड़क परिवहन द्वारा न ले जाई जायें । सड़क परिवहन के प्रति इस प्रकार की मुकाबले की भावना उचित नहीं ।

अब मैं किरायों के बारे में कुछ कहूंगा । यदि आप किराये बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ सुविधायें भी बढ़ानी चाहियें । आज दूसरे तथा तीसरे दर्जे के यात्रियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । उनकी बहुत दुर्दशा होती है । इन दर्जों में भीड़ बहुत अधिक होती है । इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

अहमदाबाद गुजरात राज्य की राजधानी है । एक साल पहले वहां नया स्टेशन बनाया गया था । उसके बहुत से प्लेटफार्म हैं परन्तु इससे लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इन प्लेटफार्मों से बाहर नगर में जाने के लिये बहुत चलना पड़ता है और कई पुल पार करने पड़ते हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री वहां पर स्थिति को स्वयं जा कर देखें । बड़ौदा स्टेशन पर यात्रियों के लिये सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं है । उनको प्लेटफार्म पर ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है । यहां पर भी सुधार होना चाहिये । वहां के प्रतीक्षा गृह में पर्याप्त स्थान नहीं है । इन दोनों बड़े स्टेशनों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

रेलवे में क्लर्कों की विभिन्न श्रेणियों में भेदभाव किया जाता है । कई लोगों को रात्रि भत्ता मिलता है जब कि अन्य को नहीं मिलता । मेरा सुझाव कि यह अन्तर समाप्त होना चाहिये ।

गाड़ियों के समय पर चलने के बारे में मुझे स्थानीय गाड़ियों के देर से चलने के बारे में शिकायत है । बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच गाड़ियां प्रायः समयानुसार नहीं चलती हैं । इसे समाप्त किया जाना चाहिये । इन गाड़ियों में आवश्यक सुविधायें भी उपलब्ध की जानी चाहियें ।

रेलवे की कार्यकुशलता में प्रगति हो रही है । यह बहुत अच्छी बात है । और इस पर हम गर्व करते हैं । रेलवे प्रशासन को इस सबका श्रेय है । रेलवे राजस्व को रेलों की कार्यकुशलता को और बढ़ाने के लिये प्रयुक्त किया जाना चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम) : मेरे विचार में दोनों ही मंत्री महोदय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में ही ठीक थे । परन्तु रेलवे विभाग में वे कोई शानदार काम नहीं कर सके । मेरे विचार में संचार और परिवहन एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत आ जाना चाहिये । इससे बहुत सी भ्रांति दूर हो जायेगी । रेलवे का परिवहन के प्रति बड़ा अमैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा है । लोगों के लिए व्यवस्था

[श्री जयपाल सिंह]

करने की दृष्टि से काफी मंत्रालयों की व्यवस्था कर ली गयी है । रेल, सड़क, हवाई, तथा जल सभी प्रकार के परिवहन मदों को एक मंत्रालय के अन्तर्गत ले आने से बचत भी हो जायेगी । साथ साथ भिन्न प्रकार से उभरने वाली समस्या को हल करने के तुरन्त अवसर भी उपलब्ध होते रहते हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संसद के सदस्यों को यह समझ लेना चाहिये कि रेलवे सुविधायें, केवल उनके लिये ही नहीं हैं, अन्य भी लोग उसका उपभोग कर सकते हैं । एक ओर किराये बढ़ाने की आलोचना करना और दूसरी ओर सुविधाओं की मांग करना परस्पर विरोधी बातें हैं । मेरा मत यह है कि रेलवे भाड़ों में हुई वृद्धि बहुत अधिक नहीं है । इससे गाड़ियों में भीड़ भाड़ की समस्या भी कुछ सीमा तक हल होगी ही । आपको यह बात नहीं समझनी चाहिये कि सरकार जानबूझ कर रेलें नहीं चला रही ।

वैसे आज जो स्थिति निर्माण हो रही है उससे भीड़भाड़ का बढ़ जाना स्वाभाविक है । रेलवे सेवा आयोग भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा । आयोग आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर सका है । हमें प्रान्तीयता तथा साम्प्रदायिक भावना से भी इस दिशा में नहीं देखना चाहिए । कुछ वर्ष पहले की बात है एक जाति विशेष के कर्मचारियों को अपने आप पद वृद्धि देने के लिए एक निदेश जारी किया गया था इस तरह की बात देश के हित में नहीं कही जा सकती । यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बहुत खतरनाक बात है । उनके हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए । वैसे भी इस तरह की बात देश के सामूहिक हित में नहीं है । यह तो ठीक है कि विशेष परिस्थितियां होने के कारण भर्ती के मामले में उन्हें रियायत दी जाय, परन्तु उसके बाद योग्यता के अनुसार उन्हें पदोन्नति दी जानी चाहिए ।

एक रेलवे समुदाय बनाया जाना चाहिए और इसका पूरा समर्थन संसद् सदस्यों को करना चाहिए । उनके साथ जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए । इस बात को समझने का यत्न किया जाना चाहिए कि रेलवे कर्मचारियों के परिवारों का जन्म एक विशेष प्रकार के वातावरण में हुआ है । अतः उन्हें रेलवे सेवाओं में भर्ती की दिशा में कुछ सुविधायें मिलनी ही चाहिए । ऐसे समुदाय के लोगों के लिए यदि कुछ तकनीकी प्रकार की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हो जाय तो अच्छा ही है । इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि कुंजरु समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

अन्त में मेरा यह भी निवेदन है कि रेलवे प्रशासन को होटल स्थान सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिए भी कुछ कार्यवाही करनी चाहिए । इस दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में केवल दो होटल हैं । पता नहीं औरंगाबाद इस रेलवे के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं । मेरा विचार है कि अन्तिम स्टेशनों पर अच्छे होटलों की व्यवस्था होनी चाहिए । इसी तरह रेलवे को कोयले के मामले में भी सामने आना चाहिए । निवेदन यह है कि रेलवे प्रशासन को समय पर कोयला सम्भरण तथा वितरण के मामले में भी सक्रिय भाग लेना चाहिए । कोयले को स्टोर भी कर लिया जाये तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं । इसका स्टाक कर ही लेना चाहिए । दिल्ली में तो कोयले की कमी होनी ही नहीं चाहिए । इस मामले में तो अन्य मंत्रालयों को भी रेलवे की सेवाओं से लाभ उठाना चाहिए ।

श्री राम चन्द्र मल्लिक (जाजपुर) : रेलवे पर कुछ कहने का मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूं । मैं रेलवे मंत्रियों को मुबारकबाद भी देता हूं, परन्तु इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को भी उनके कार्य के लिए सराहता हूं । उन्हीं के कारण मंत्री महोदय इस ढंग से अपना यह बजट प्रस्तुत कर पाये हैं ।

उड़ीसा के बारे में मेरा निवेदन यह है कि जहां तक भूमि का सम्बन्ध है वह तो वहां बहुत है, परन्तु विद्युत्, संचार साधन तथा परिवहन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वह बहुत पीछे रह गया है । यही उसकी आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में बाधा रही है। यदि परदीप पत्तन का कार्य पूरा हो गया तो उड़ीसा के आर्थिक विकास को भारी प्रोत्साहन मिलेगा । मैं इस बात का आग्रह करूंगा कि मंत्री महोदय को नयागढ़ से परदीप पत्तन तक रेलवे लाइन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह रेलवे लाइन बन जाने से सारे क्षेत्र को भारी लाभ होगा। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि कटक से चेलयूरा तक लाइन का विस्तार रूरकेला कारखाने तक करना चाहिए। यह कटक से भुवनेश्वर तक छोटा रास्ता होगा। अब भुवनेश्वर से कटक खड़गपुर होकर जाना होता है ।

जाजपुर उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण स्थान है । यहां प्रतिवर्ष भारत के सभी भागों से लोग यहां आते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिएं। यह भी बड़ा जरूरी है कि जाजपुर नगर और बिराजा मन्दिर को तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, रेलवे लाइन द्वारा मिला दिया जाना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो डाक गाड़ियां उड़ीसा में से हो कर गुजरती हैं उनमें इतनी भीड़ रहती है कि उड़ सा के किसी भी स्टेशन से कोई भी यात्री इन गाड़ियों में तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकता । रेलवे प्रशासन को इस दिशा में कदम उठाने चाहिएं। तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधा के लिए और जनता एक्सप्रैस गाड़ियां चलाई जानी चाहिएं। मद्रक तथा भुवनेश्वर के बीच 'शटल' गाड़ियां भी चलाई जानी चाहिएं। दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर 'कोरई यात्री हाल्ट' को 'फ्लैग' स्टेशन में बदल दिया जाय। हावड़ा-मद्रास एक्सप्रैस को बेरारनी रोड नथा सोरो पर रुकना चाहिए।—जयपुर-क्योंझर सड़क को मेलगोदाम तक ले जाया जाय। यात्रियों की सुविधाओं की दृष्टि से बहुत जरूरी है। रेलवे कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों को भी इससे लाभ पहुंचेगा । मुझे आशा है कि रेलवे मंत्री महोदय इन सुझावों पर विचार करेंगे जिन्हें मैंने प्रस्तुत किया है ।

Shri Ramanand Shastri (Ramasanehighat): Mr. Chairman, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on Railway Budget. The budget is good and the work is going on smoothly. However, I want to point out the corruption and other irregularities which are going on in the Railways.

Even in Delhi which is the capital of India, there is corruption and the railway authorities try to conceal them. By way of example I may state that there was an embazzlement case in the electricity department which was concealed. It was exposed only when it was published in the newspaper entitled "World Railwaymen". An enquiry was held which revealed embazzlement to the tune of Rs. 2 lakhs. There is a collusion of vigilance officers with other officers. I gave such a case to the authorities but no adequate action was taken on it. About 10 refrigerators were stolen from Railway Board's office. Instead of giving punishment, one of the persons has been given promotion. The case is still going on. The persons who gave information about this theft have been transferred to different places. The low-paid employees report about these matters but the higher ones hush them up. The cases are withdrawn under the guise of departmental action where the officers

[Shri Ramanand Shastri]

find it easy that witnesses may not give evidence. Even on Public Prosecutor, Mr. Verma is telling witnesses not to give evidence and he is appealing to them in the name of the children of those who are alleged to have taken part in such irregularities. I request that these cases may be dealt with in courts of law.

I wrote to Dr. Sahib, the Minister concerned about the case of one employee, Shri Rikshpal Singh of Sarai Rohilla who is under suspension for the last two years because he has been arraigned in a wrong case. The fact is that he did not pay bribe to a clerk. Whenever I write to the Minister he replies that action is being taken. Now after two years of his suspension his children are on the verge of starvation but the case has not been finalised. I do not say that all the officers are dishonest.

I got arrested one person near Luxur, Haridwar for theft of coal but he has been reinstated and his illegal income is to the tune of Rs. 200 per month.

The same is the case with regard to appointment of people which are done only in respect of those who grease the palm of officers.

The higher officials also favour the officials and not the lower staff. There is always much delay in the doing of things and the poor people are harassed thereby. The officers are responsible for accidents. Low-paid employees get small sums as bribe whereas the big officials charge huge amounts in bribery. There is great waste of money in railways.

The police staff put on duty to check bribery are themselves instrumental in that. There is a collusion between the booking clerks and the policemen in the bribery cases. The vigilance staff themselves disclose in advance about their arrival in an office as they too have a share in bribe.

The Scheduled Castes were given some reservations in services but now a circular is reported to have been issued to relax their appointments in services and they are not being taken in services now.

The catering arrangements are very poor. The bearers refuse to serve tea to me at Lucknow. The reason is that this work has been taken over by the railways and the government employees are insterested only in their salaries which they get regularly.

The train which runs between Saharanpur and Haridwar does not contain light. This may be provided as it reaches there at 9 P.M.

In the end I request that all corrupt officers should be punished irrespective of their positions.

I support the budget with these words.

Shri Hem Raj (Kangra): Mr. Chairman, I thank you for giving me this opportunity to speak. The Railway Minister is an efficient man and whatever department he holds charge of, he set things right there. The Railway Budget which he has presented is an indication of the drive which he possesses.

In the current year more passenger trains have been put in service. The incentive scheme has caused a good effect and more production has been achieved in workshops.

There are three types of lines namely, broad gauge, metre gauge and narrow gauge. The first two types are alright as indicated in the report but the report is silent about the narrow gauge. These are 40 in number and they are all branch lines. The Kunzru Committee has written one full chapter about these lines in its report but the Railway Board has taken no action on it. The Railway Board had decided to retain five of these lines only but the same has not been implemented. The Kunzru Committee even reported that during the last 5 years there has been deterioration in their condition. It has also reported a loss of Rs, 22.68 crores on these lines during the last seven years which is more than Capital-at-Charge of the Chittaranjan Locomotive works.

I want to request that the policy of indecision pursued by the Railway Ministry in this connection should end and the condition of those lines which are to be retained should be bettered. Mention about it has been made on page 25 of the Kunzru Committee Report.

There has been an increase of 10 per cent in the railway fares in all classes whether it is air-condition class, 1st class or 3rd class. I do not understand the logic of increase in fares of 3rd class where poor people travel.

Grants are made for passengers' amenities and there is a provision for spending Rs. 3 crores annually on it. But the audit report for the year 1965 indicates that during the first five year plan, 2nd five year plan and upto the year 1964 of the 3rd five year plan, there was decrease in this amount. I want to submit that greater caution may be applied in this regard and the amount sanction for amenities should in fact be spent on that work.

I am astonished to read that even the work of converting narrow gauge into metre gauge has been shown in the category of amenities. This should not be done. This has been shown on page 66 of the annual report.

Previously there was only civil police, then you got railway police and now you have added railway protection force to it. Yet so far as the pilferage in railways is concerned is still going on. I request the Minister to see whether the railway authorities themselves might not be involved in it.

I request that Messrs. A. H. Wheeler should not have monopoly for selling books on all the railways.

On Kangra valley Railway there is always a crowd. Even the question regarding the number of locomotives which are to be allotted to this railway has not yet been finalised. Its percentage is lesser than even that of metre gauge. Due to a number of factors such as opening of new projects and because of its being a border area, the responsibility of railway staff have increased. Hence more staff should be appointed and more railway coaches etc. be also provided.

[Shri Hem Raj]

I will again request the railway minister to put an end to the habit of indecision prevalent in his Ministry.

Passenger sheds are like cremation grounds where it becomes difficult for anybody to sit. I request that a good number of sheds should be provided. Special attention may be paid in this regard at Jawalamukhi Railway Station as a large number of pilgrims come there each year besides the going on of other works like oil exploration works. There should be drinking water pumps also on that station.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, सबसे पूर्व तो मैं रेलवे कर्मचारियों की प्रशंसा करूंगा कि जो भारतीय रेलवे की कार्यकुशलता को अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिनके कारण फालतू बजट पेश किया जा सका है ।

मुझे दुःख है कि इस वर्ष तीसरे दर्जे का किराया बढ़ा दिया गया है । दुःख की बात यह है कि यहां उस व्यक्ति से कर लिया जाता है जिसकी हड्डी में खून का नाम भी नहीं है ।

जहां तक रेलों में बिजली लगाने के कार्य का सम्बन्ध है वह बड़ी कुशलता से किया गया है । परन्तु जो कर्मचारी यह कार्य कर रहे हैं वे बड़े असन्तुष्ट हैं और उन्होंने इस बारे में एक परिपत्र रेलवे मंत्री तथा अन्य अधिकारियों को दे भी दिया है । मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र ही उनकी मांगों पर विचार किया जावे ।

दूसरी बात है "मजूरी बोर्ड" की नियुक्ति की । इसकी मांग रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन ने की है । हम चाहते हैं कि इसका सभापति कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कानून आता हो । अब दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का तो मूल्य बढ़ने से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । क्योंकि उन्होंने समझा था कि मूल्य किसी स्थान पर जा कर रुक जावेंगे । मुझे पता है कि मंत्री महोदय कहेंगे कि उन्होंने एक शंकर सरन समिति नियुक्त की थी और सरकार ने लगभग उसकी सब बातें मान ली थीं । परन्तु मेरा कहना यह है कि उन सिफारिशों को पूरी तरह कार्यन्वित नहीं किया गया था जैसे खरगपुर कारखाना तथा दक्षिण-पूर्वी रेलवे के बारे में उन्हें लागू नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि शंकर सरन समिति की सिफारिशों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जावे ।

मजूरी बोर्ड की नियुक्ति करवाने के लिये रेलवे कर्मचारी सारे देश से आये और उन्होंने रेल भवन के सामने प्रदर्शन भी किया । मुझे आशा है कि रेलवे मंत्री इस कार्य पर कृपा करेंगे और मजूरी बोर्ड की नियुक्ति कर देंगे ।

रेलवे कर्मचारी 7, 8 या 11 रुपये के महंगाई भत्ते से प्रसन्न नहीं होते । वे तो चाहते हैं कि चीज़ों के मूल्य सस्ते हों और इसलिये वे सस्ते अन्न की दुकान खुलवाना चाहते हैं जैसी कि दूसरे महायुद्ध में किया गया था । मेरी समझ में नहीं आता कि रेलवे बोर्ड इसके विरुद्ध क्यों है ।

मुझे खुल्लम खुल्ला कुछ जनरल मैनेजरों ने कहा है कि वे दुकान खोलने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि दुकान खुल गई तो अन्न कहां से लावेंगे । इस लिए यदि आप चाहते हैं कि कर्मचारी और अधिक महंगाई भत्ता न मांग तो उसका इलाज केवल

सस्ते अन्न की दुकान ही हैं । सरकार का प्रयत्न सदा यह होता है कि वे जनता को यह जता दें कि मूल्य इसलिये बढ़ते हैं क्योंकि रेलवे तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अधिक भत्ता ले लेते हैं । इस प्रकार सरकार इन कर्मचारियों तथा जनता में एक प्रकार से फूट डालने का प्रयत्न करती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि महंगाई भत्ते बढ़ाने की बजाय उनके लिये सस्ते अन्न की दुकानें खोल दी जावें ।

अब मैं रात की पारी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते के बारे में कहूंगा । यह भत्ता केवल कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को दिया जाता है । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है। यदि आप देते हैं तो सबको दिया जावे। मुझे आशा है कि इस पर सहानुभूति से विचार किया जावेगा ।

अब मैं कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप में दण्ड देने के सम्बन्ध में कहूंगा । जब मैं यह अप्रत्यक्ष रूप में दण्ड देने का प्रयोग करता हूं तो सरकारी वक्ता झट से कहता है कि इसे आप दण्ड की बजाय तंग करना कह सकते हैं । आप इसे तंग करना ही कह लीजिये । 1960 में जो हड़ताल हुई थी उसके पश्चात् क्या हुआ । डाक और तार विभाग में तो सिवाय एक या दो को छोड़कर बाकी सब कर्मचारी अपने कामों पर वापिस ले लिये गये परन्तु रेलवे विभाग में ऐसा नहीं हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 5 मार्च, 1965/14 फाल्गुन 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 5, 1965/Phalguna 14, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSIII—112 (Ai) LSD—2-7-65—600.